बुधवार,
२ दिसंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

भाग १—प्रश्न और उत्तर

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, २ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बेकारी का नमूना परिमाप

*५०१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में विभिन्न स्थानों पर बेकारी के नमूना परिमाप का जो कार्य आरंभ किया गया है, क्या उसमें कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या; तथा

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में इस काम को करने के लिये कितने व्यक्ति काम में लगाये गये हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हां।

(ख) इस निदेशालय को स्थल पर जाकर परिमाप करने का जो कार्य, अर्थात् विहित अनुसूचियों में प्रारंभिक आंकड़े जाम करना सौंपा गया था, वह विभिन्न स्थानों पर किया गया था और पूरा हो गया है। अनुसूचियों में पूर्तियां करके उन्हें परिमाप के परिणामों का विश्लेषण करने तथा उनका संकलन करने के लिये भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता, को भेज दिया गया है।

(ग) इस काम में इस निदेशालय के कुल २०४ अन्वेषणकर्ता लगाये गये थे। उनके काम की देख रेख उन अधीक्षकों द्वारा की गई थी, जिनके आधीन आम तौर पर सहायक अधीक्षक तथा निरीक्षक काम करते हैं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस काम के लिये जो व्यक्ति नियुक्त किये गये थे, क्या वे विशेषरूप से इस कार्य के लिये भर्ती किये गये थे अथवा उन्हें किसी विभाग से लिया गया था ?

श्री नन्दा : वे चाहे जहां से भी आये हों, पर उन्हें इस काम के लिये उचित रूप से प्रशिक्षित और तैयार किया गया था।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस काम में किसी भारतीय विशेषज्ञ का सहयोग प्राप्त किया गया था अथवा इसे अधिकारियों ने किया था ?

श्री नन्दा : यह सारा काम एक विशेषज्ञ की देख रेख में किया गया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि सर्वप्रथम जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार पश्चिम बंगाल म जिस क्षेत्र का परिमाप किया गया था, उसमें किस श्रेणी के वर्गों में बेकारी की सब से अधिक प्रतिशतता है ?

श्री नन्दा : मैं प्रश्न नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक परिमाप का सम्बन्ध है, किस वर्ग में बेकारी की सबसे अधिक प्रतिशतता है ?

श्री नन्दा : परिणामों को अभी तक तालिकाबद्ध नहीं किया गया है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या उपलब्ध आंकड़ों से--जनगणना प्रतिवेदनों, नमूना परिमापों आदि से--इस बात का हिसाब लगाने का कोई विचार है कि देश में कुल बेकारी कितनी है ?

श्री नन्दा : हां, अनेक पूछताछ तथा परिमाप के कार्य चालू हैं और जैसे ही उनके परिणाम प्राप्त हो जायेंगे, एक सामान्य अनुमान लगाया जायेगा ।

श्री एस० एन० मिश्र : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण बेकारी की स्थिति का भी कोई परिमाप किया गया है ?

श्री नन्दा : हां, श्रीमान् । सातवीं बार के राष्ट्रीय नमूना परिमाप में ग्रामीण बेकारी का परिमाप भी सम्मिलित है ।

भारत-पाकिस्तान वार्ता

*५०२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान सरकार के साथ समावृत क्षेत्र (एनकलेव), सीमा व्यापार, आवागमन की स्वतंत्रता तथा पूर्वी इलाके की अन्य प्रमुख समस्याओं के संबंध में जो वार्ता चल रही थी, क्या वह समाप्त हो गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चित रूप से कुछ निर्णय हुए हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) से (ग) इन समस्याओं पर विचार करने के लिये कलकत्ते में ३० सितम्बर से ३ अक्तूबर १९५३ तक अधिकारी स्तर पर एक भारत-पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था । जिन बातों पर चर्चा हुई थी उनमें से कुछ के सम्बन्ध में सम्मेलन में समझौता हुआ था । अन्य बातों के सम्बंध में और बातचीत की आवश्यकता होगी ।

उस सम्मेलन में जो निर्णय हुए थे, उनके लिये दोनों सरकारों का अनुसमर्थन आवश्यक था । भारत सरकार ने उनका अनुसमर्थन कर दिया है । पाकिस्तान सरकार के अनुसमर्थन की प्रतीक्षा की जा रही है । जैसे ही वह प्राप्त हो जायेगी, दोनों सरकारों द्वारा एक साथ एक संयुक्त विज्ञप्ति निकाली जायेगी । फिर उस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में हुई कुछ राजनैतिक घटनाओं के कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी है तथा सम्मेलन में जो निर्णय हुए थे, उनके अनुसमर्थन में बिलम्ब हो गया है ?

श्री सादत अली खान : हमको ऐसी किसी चीज़ का पता नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि जब दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच समावृत क्षेत्रों के विनियम का समझौता हो गया था, तो फिर पाकिस्तान की सरकार इसको क्रियान्वित करने में इतना विलम्ब क्यों कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दोनों देशों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है । किन्तु उसके विस्तृत विवरण नहीं तय हुए थे । उन विवरणों के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है ।

श्री बर्मन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समावृत क्षेत्रों के संबंध में कोई समझौता हुआ है, और यदि नहीं हुआ है, तो इस संबंध में किन बातों पर मतभेद है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने अभी बताया है कि सेद्धान्तिक रूप से यह समझौता हुआ था कि समावृत क्षेत्रों का विनिमय होना चाहिये। किन्तु किन शर्तों पर अर्थात् क्या उस पक्ष को, जो अधिक भूमि देता है, कोई भूमि-प्रतिकर दिया जाना चाहिये अथवा किसी अन्य प्रकार का प्रतिकर (मुआवज़ा) हो--ये प्रश्न अभी तय नहीं हुए हैं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता के सम्मेलन में इस विनियम की शर्तें आन्तिम रूप से निश्चित हो गई थीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं।

श्री सारंगधर दास : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे प्रश्न को लेंग।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकान निर्माण

*५०३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना के आधीन विभिन्न राज्यों में औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकान बनवाने के काम में क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के आधीन भिन्न भिन्न नगरों में औद्योगिक श्रमिकों के लिये अब तक जो मकान बने हैं अथवा आजकल बनाये जा रहे हैं, उनकी संख्या को दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०.**]

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में क्या कोई ऐसी कठिनाइओं का अनुभव हुआ है जिनके लिये संसद् द्वारा, योजना के कार्य को शीघ्र समाप्त कराने के हेतु, किसी विधान बनाये जाने की आवश्यकता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान्।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आगरे में इंडस्ट्रियल वर्कस के वास्ते कोई स्कीम जारी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैंने सम्पूर्ण विवरण सदन पटल पर रख दिया है और यदि माननीय सदस्य सुसंगत प्रविष्टि को देखें तो उन्हें उत्तर मिल जायेगा।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न उद्योगों को किन सिद्धान्तों पर अनदान दिये जाते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : विभिन्न राज्यों तथा उद्योगों की अपेक्षाओं के अनुसार।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह योजना आंशिक रूप से अर्थ सहायता की तौर पर और आंशिक रूप से ऋण की तौर पर है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह अनुभव किया गया है कि ऋण की राशि पर जो ४½ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है, वह अत्यधिक है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि लोग ऐसा सोचते हैं अथवा नहीं परन्तु इस से अधिक रियायत नहीं दी जा सकती थी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृह-निर्माण के क्षेत्र में स्वेच्छा से किये गये प्रयत्नों का संतोषप्रद परिणाम निकला है ? मिल मालिकों तथा अन्य उद्योगपतियों से स्वयं ऐसे मकान बनवाने को कहा गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार काफी संख्या में मकान बने हैं ?

सरदार स्वण सिंह : यदि इस प्रश्न का संबंध योजना के बाहर गृह-निर्माण से है, तो उसके संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं है। परन्तु जो विवरण मैं ने दिया है उसमें स्वयं

नियोजकों द्वारा आरंभ की गई योजनाओं की ओर थोड़ा संकेत किया गया है । और इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि इस ओर जितना ध्यान दिया गया है, वह काफी उत्साहवर्धक है ।

श्री पुन्नूस : खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं ।

श्री मार्टिनुज्जी का प्रतिवेदन

*५०४. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई चीज़ों तथा दस्तकारी की चीज़ों के संबंध में सरकार को सर्व श्री मैसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के प्रतिनिधि, श्री मार्टिनुज्जी का प्रतिवेदन मिल गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् यह आशा नहीं की गई थी कि श्री मार्टिनुज्जी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे यहां के कुटीर तथा दस्तकारी उद्योगों का कितने विदेशी विशेषज्ञ सर्वेक्षण कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रश्न के मूल आधार को ही नहीं समझ सका । प्रश्न का सम्बन्ध श्री मर्टिनुज्जी से है । वह हमारे कुटीर उद्योगों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में यहां आये थे ताकि अपने माल को बेचने के लिए हम उनकी सार्थ से समझौता कर सकें । किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में कितने विदेशी विशेषज्ञ हमारे कुटीर उद्योगों का सर्वेक्षण कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के निमंत्रण के आधार पर कितने विदेशी विशेषज्ञ हमारे कुटीर उद्योगों तथा दस्तकारी उद्योगों का सर्वेक्षण कर रहे हैं ; इसे बताने में तो सरकार समर्थ होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं फिर भी यही कहूंगा कि मैं अभी तक यह नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रश्न क्या है । यह सज्जन संभावित व्यापार समझौते के सम्बन्ध में यहां आये थे । यदि माननीय सदस्य कोई प्रतिष्ठापन का निर्देश कर रहे हैं तो यह बात बिल्कुल ही दूसरी है । किन्तु इनके अतिरिक्त किन्हीं अन्य का तो मुझे कोई ध्यान नहीं है ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : क्या यह तथ्य है कि चूंकि हम कुटीर उद्योगों द्वारा बने हुए माल का संभरण नियमित रूप से नहीं कर सकते यही कारण है कि अमरीकन व्यापारी हमारे कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को नहीं लेते ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह भी एक कारण है ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये विदेशी विशेषज्ञ—श्री मार्टिनुज्जी अथवा कोई अन्य—कुटीर उद्योग तथा दस्तकारी मंडल के निमंत्रण पर यहां आये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री मार्टिनुज्जी कोई विशेषज्ञ नहीं हैं । वह तो अमरीका के एक बहुत बड़े विभागीय भंडार के प्रबन्धक हैं । वह हमारी प्रार्थना पर

यहां आये हैं ताकि हम उनके साथ व्यापार की संभावनाओं के विषय में चर्चा कर सकें।

यदि मैं अपने उत्तर को कुछ स्पष्ट करके कहूं तो मैं कहूंगा कि यहां की स्थिति का सर्वेक्षण करके उन्होंने कुछ नमूनों का चयन किया है और उनका विचार है कि इन नमूनों की पेरिस के बजार में परीक्षा की जाय। उन नमूनों को पेरिस भेजे गये और एक प्रदर्शिनी का प्रबन्ध किया गया। वह प्रदर्शिनी सफल हुई। और अब उन्होंने कुछ नमूने अमरीका भेजने के लिए कहा है। इन चर्चाओं से हमें कुछ मिलने की आशा है क्योंकि यह प्रकट होता है कि पेरिस में हमारी चीज़ें पसंद कर ली गई हैं। यदि अमरीका में इन वस्तुओं का अच्छा स्वागत किया गया तो फिर हम उनसे इन चीज़ों के बेचने के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उनको वहां बेचा जाय, एंव निर्यात करना होगा तो कितना और उस पर कितना खर्चा होगा, आदि आदि।

भारतीय उर्वरक नियोग

*५०५. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय उर्वरक नियोग का विभिन्न देशों में उरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट बनाने सम्बन्धी प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ?

(ख) यदि हां तो क्या कार्यवाही की जायेंगी ?

(ग) क्या विदेशों में बेचने सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) तथा (ख): जैसा कि मैंने श्री के० सी० सोधिया के १६ नवम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर में कहा है कि नियोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है, और नियोग की सिफारिशों के आधार पर उरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट के बनाने के लिए टेन्डर मांगे गये हैं।

(ग) उर्वरक को विदेशी बाज़ारों में बेचने के संबंध में नियोग ने कोई सिफारिश नहीं की है।

श्री एस० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि इन उत्पादों को बनाने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की और आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी ठीक अनुमान देना तो बड़ा कठिन है। यहां तक कि नियोग ने भी इस सम्बन्ध में कोई पक्का अनुमान देना आवश्यक नहीं समझा। ठीक पूंजी जो कि इस कार्य पर खर्च होगी, उसके सम्बन्ध में वैकल्पिक योजनाओं के लिए टेन्डरों के आने पर निश्चित की जायगी ; केवल तभी हम कह सकते हैं कि इन परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देने के लिये हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी।

श्री एस० एन० मिश्र: मैं जान सकता हूं कि क्या इन उत्पादनों के निर्माणस्वरूप उर्वरकों के मूल्य में कमी हो जायगी ?

श्री के० सी० रेड्डी: इस प्रविधिक नियोग ने जिन उर्वरकों को देश में उत्पादन करने की सिफारिश की है उन का उत्पादन आजकल देश में नहीं हो रहा है। यदि यह परियोजना चालू होती है तो पहली ही बार देश में इनका उत्पादन किया जायगा। अतएव आजकल के मूल्यों की, परियोजना के चालू होने के उपरान्त के मूल्यों से वास्तव में हम कोई तुलना नहीं कर सकते।

श्री एस० एन० मिश्र : श्रीमान्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या अतिरिक्त उत्पादन के फलस्वरूप इन उर्वरकों के मूल्य में कोई कमी होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रश्न बहुत ही साधारण है कौन से उर्वरकों का मूल्य ? यदि माननीय सदस्य का निर्देश अमोनियम सलफेट से है—जो उर्वरक आजकल सिंदरी में बनाया जाता है—तो उसका उत्तर 'नहीं' है । किन्तु जहां तक दूसरे उर्वरकों के मूल्य का, जो कि यंत्र के चालू होने के बाद तैयार होंगे, सम्बंध है, वास्तव में हम आजकल के मूल्यों से उन उर्वरकों के मूल्यों की तुलना जो कि आजकल बन नहीं रहे हैं, किन्तु फिर बनेंगे, कैसे कर सकते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि उरिया तथा अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परिमात्रा के सम्बन्ध में नियोग ने जो सिफारिश की है वह देश की आवश्यकता की द्योतक है अथवा उसकी उत्पादन क्षमता सिंदरी की रद्दी गैस के प्रयोग भर की है ।

श्री के० सी० रेड्डी : आयोग ने ३५ टन उरिया तथा १८० टन अमोनियम नाइट्रेट अथवा इसके अतिरिक्त ७० टन उरिया और ११० टन अमोनियम नाइट्रेट प्रतिदिन उत्पादन करने के क्षमता वाला यंत्र लगाने की सिफारिश की है । हम इस समय यह नहीं कह सकते कि आगामी कुछ वर्षों में देश को इन उर्वरकों की आवश्यकता कितनी होगी ? वास्तव में इन उर्वरकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए सुसंगठित रूप से आन्दोलन जारी करना होगा ताकि यदि तथा जब यंत्र चला, तो उसके द्वारा उत्पादित उर्वरकों को काफ़ी मांग हो ।

प्रादेशिक भंडार क्रय समिति

***५०६. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रादेशिक भण्डार क्रय समिति जिसे नवम्बर १९५२ में बनाया गया था, उसकी सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया जायगा ?

(ख) क्या सरकार ने भंडार क्रय समिति द्वारा ५० सार्थों को जारी की गई प्रश्नावली के उत्तरों को देखा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार द्वारा प्रादेशिक भण्डार क्रय समिति, लंदन तथा वाशिंगटन की सिफारिशों को अब तक कितना क्रियान्वित किया गया है, इसका द्योतक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) संभवत : माननीय सदस्य का निर्देश भण्डार क्रय समिति द्वारा व्यापार संगठन तथा व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों को — न कि व्यक्तिगत सार्थों को—भेजी गई प्रश्नावली से है । प्राप्त उत्तर आजकल भण्डार क्रय समिति के विचाराधीन हैं और इसकी अंतिम सिफारिशों के आने पर सरकार उन पर विचार करेगी ।

पुनर्वास ऋण

***५०७. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चालू आर्थिक वर्ष में भारत सरकार ने बिहार सरकार को कोई पुनर्वास ऋण दिया है ?

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन राशि का ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) ९,३७,००० रुपये का ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह ऋण बिहार सरकार को मकानों के निर्माणार्थ अथवा किन्हीं अन्य कार्यों के लिए दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह ऋण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मकान निर्माणार्थ तथा व्यापार के लिए भी दिया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस धन राशि में से कितना धन शहरी क्षेत्रों के मकानों के लिए तथा कितना धन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया गया है ? उस धन का कितना अंश अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं प्रश्न के उत्तार्ध का मन्तव्य नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उस धन का कितना अंश अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री जे० के० भोंसले : ग्रामीण मकानों के लिए ६५ हजार और शहरी मकानों के लिए २,२७,१४० रुपया । मुझे खेद है कि मैं प्रश्न के उत्तरार्ध का उत्तर नहीं दे सकता ।

डा० राम सुभग सिंह : शेष धन का क्या हुआ ? ग्रामीण मकानों के लिए केवल ६५ हजार रुपया, और शहरी मकानों के लिए २,२७,१४० रुपया खर्च हुआ है, किन्तु कुल धन जैसा कि आपने बताया है वह ९ लाख और कुछ है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि कितना व्यय हुआ है, और जितना खर्च हुआ है उसके आंकड़े उन्होंने दे दिये हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : दिये गये आंकड़े स्वीकृत धन के बारे में हैं न कि व्यय के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने व्यय के आंकड़े भी दिये हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : शेष धन का क्या होगा, क्या कुछ प्रमुख मांगें हैं जिनके लिये धन नहीं दिया गया है अथवा यह विपगत होगा ?

श्री जे० के० भोंसले : राज्य सरकारों को जब और जैसी आवश्यकता होती है हम उनकी मांगों को स्वीकार करते हैं तत्पश्चात यह मामला राज्य सरकारों का है ।

तेल शोधन के कारखाने

***५०८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तीन विदेशी तेल समवायों की भारत में तीन तेल शोधन के कारखाने स्थापित करने के लिये सामान्य पूंजी में पूंजी विनियोग करने वाले भारतीय जनों को भी भाग लेने का अवसर देने के सम्बन्ध में सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई पग उठाया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : आरम्भ में पूंजी विनियोग करने वाले भारतीय जनों को किस आधार पर विदेशी समवाय की पूंजी में भाग लेने का कोई अवसर नहीं दिया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं ने सरकार और तेल शोधन कारखानों के मध्य हुए करारों की प्रतियां पहिले ही सदन पटल पर रख दी हैं । उन करारों के अनुसार यह देखा जा उकता है कि भारतीयों के लिये इस समवाय की सामान्य अंश पूंजी में विनियोग करने का कोई अवसर ही नहीं था । स्पष्ट है कि जब करारों को अन्तिम रूप दिया गया था तो इस सम्बन्ध में अच्छी प्रकार चर्चा की गई थी और तेल शोधन समवायों की एक शर्त यह थी कि सामान्य पूंजी के विनियोग का प्रश्न पूर्णतया उन पर ही छोड़ दिया जाये । सारे मामले पर अच्छी

प्रकार विचार करने के पश्चात् सरकार ने उन की यह शर्त मान ली और इस प्रकार हम देखते हैं कि उन करारों के अनुसार इन समवायों की सामान्य पूंजी में भारतीयों के लिये विनियोग करने का कोई अवसर नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह: आप ने इस का कोई आधार तो बतलाया नहीं कि आरम्भ में वे सामान्य पूंजी में भाग क्यों नहीं ले सके । यह स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, इस का कारण यह है कि हम ने यह देखा कि यदि हम ने समवाय की सामान्य अंश पूंजी में भारतीयों के भाग लेने के सम्बन्ध में आग्रह किया तो करार सम्पन्न ही नहीं होगा । यह तो करार को सम्पन्न करने या इस विषय को छोड़ देने का प्रश्न था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या माननीय मंत्री के उत्तर से यह समझा जाये कि विदेशी पुजी विनियोक्ताओं के भय से ही भारत सरकार ने भारतीय जनों को पूंजी विनियोग में भाग लेने देने के लिये आग्रह नहीं किया ?

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, इस में भय या इस प्रकार की कोई बात नहीं थी । हम कई महत्वपूर्ण कारणों से यह चाहते थे कि हमारे देश में तेल शोधन के कारखाने बन जायें । उन्होंनें कुछ शर्तें रखी थी और वे केवल उन्हीं शर्तों पर यें तेल शोधन के कारखाने स्थापित करने के लिये हमारे साथ करार करने को तैयार थे । हमें उन के प्रस्ताव और उन की शर्तों पर विचार करके यह देखना था कि हम किन बातों को स्वीकार कर सकते हैं और किन्हें नहीं स्वीकार कर सकते । मुझे खेद है कि मैं इस से अधिक कुछ नहीं बता सकता ।

श्री सारंगधर दास : क्या हम यह समझें कि दूसरे समवाय ने करार लिखवाया था ?

श्री के० सी० रेड्डी: इस में दूसरे समवाय द्वारा करार लिखवाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब हम तर्क करने लगे हैं ।

श्री के० सी० रेड्डी: इस का निश्चय भारत सरकार....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं समझता हूं कि इस विषय में उनका उत्तर बिलकुल स्पष्ट है ।

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, मैं इस का उत्तर देता हूं । तेल शोधन के समवायों ने इसे लिखवाया नहीं । विभिन्न प्रकार के कई प्रस्ताव आये थे । उन सब की समय समय पर परीक्षा की गई----और इन सब प्रस्तावों के सम्बन्ध में विस्तृत और लम्बी-चौड़ी चर्चा के पश्चात् ही यह अन्तिम करार किया गया था ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): वास्तव में उन के कुछ अंश स्वीकार नहीं किये गये और उन्हें बदल दिया गया था ।

उर्वरक

*५०९. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि त्रावनकोर फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स फैक्टरी और सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी में तैयार होने वाले उर्वरक के उत्पादन व्यय में बड़ा अन्तर है ?

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) तथा (ख). दोनों

कारखानों में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन व्यय अलग अलग है । इस अन्तर का कारण मुख्यतया निम्न बातें हैं :

(१) त्रावनकोर का संयन्त्र सिंदरी के संयन्त्र की तुलना में बहुत छोटा है, उन का उत्पादन सामर्थ्य प्रतिवर्ष क्रमशः ४८,००० टन और ३५०,००० टन है ।

(२) त्रावनकोर के कारखाने में अमोनिया के उत्पादन के लिये उद्रजन (हाइड्रोजन) पैदा करने के लिये जलानें की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जब कि सिंदरी में सस्ते कोक का प्रयोग किया जाता है ।

(३) त्रावनकोर के कारखाने में जलाने के तेल से भाप तैयार की जाती है जो कि कोयले से जिस का कि सिंदरी में प्रयोग किया जाता है अधिक खर्चीला पड़ता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार इन दोनों कारखानों में तैयार किये गये उर्वरकों के मूल्य में समानता लाने के लिये कोई पग उठायेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : इस प्रश्न पर बाद में किसी दिन विचार किया जायेगा ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि त्रावनकोर के कारखाने के थोड़े से उत्पादन की तुलना में सिंदरी के बड़े परिमाण में उत्पादन के कारण वहां मितव्ययता क्यों नहीं की जा सकी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को दोहराने की कृपा करेंगे ?

श्री टी० एन० सिंह : लागत में अन्तर का कारण त्रावनकोर के कारखाने का छोटा होना बताया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि सिंदरी का कारखाना एक बड़ा कारखाना है तो उसमें अधिक परिमाण में उत्पादन के फलस्वरूप जो मितव्ययता होनी चाहिये वह क्यों नहीं हो रही ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सिंदरी में तैयार किये गये उर्वरक की लागत २८५ रुपये प्रति टन एफ० ओ० आर० सिन्दरी है, जब कि त्रावनकोर के कारखाने में तैयार किये गये उर्वरक की लागत इस से कहीं अधिक है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस का कारण जानना चाहते हैं ।

श्री के० सी० रेड्डी : त्रावनकोर का संयन्त्र बहुत छोटा है और इसका उत्पादन सामर्थ्य बहुत कम है—सिन्दरी के संयन्त्र के प्रतिवर्ष ३,५०,००० टन के उत्पादन की तुलना में यह केवल ४८,००० टन है । उत्पादन व्यय उत्पादित उर्वरक के परिमाण पर निर्भर करता है और मैं ने दो और कारण भी बताये हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या त्रावनकोर के समवाय को बहुत अधिक वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है और क्या अधिक उत्पादन व्यय का यही कारण नहीं है और क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का उस समवाय को कोई सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो कितनी ?

श्री आर० जी० दुबे : हां श्रीमान्, औद्योगिक वित्त निगम ने ऋण मंजूर किया है ।

श्री पुन्नूस : क्या यह सत्य नहीं है कि सरकार ने त्रावनकोर के समवाय को कुछ रियायतें दी हुई हैं ? उदाहरण के लिये जलाने की लकड़ी और अन्य चीजों के लिये बहुत बड़े क्षेत्र अलग रख दिये गये हैं ।

क्या यह सत्य नहीं है कि विशेष रूप से इस उद्योग के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री के० सी०रेड्डी : शिकायतों पर विचार करने का तो कोई अवसर नहीं आया किन्तु जहां तक इस समवाय के विस्तार और इसे वित्तीय सहायता देने का सम्बन्ध है इस समवाय ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं और अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इन पर विचार कर रहा है ।

भारतीय सहकारी संघ

***५११. श्री वी० पी० ना र :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने भारतीय सहकारी संघ नामक एक संस्था को दो लाख रुपये या इतनी ही कुछ राशि अनुदान या ऋण के रूप में दी है ?

(ख) इस सहकारी संघ की चुकता अंश पूंजी कितनी है और इस के कार्याधिकारी कौन कौन हैं ?

(ग) उक्त राशि किस आधार पर दी गई और यह राशि किस प्रयोजन के लिये दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ग). हां, श्रीमान्,

इस संघ को केन्द्रीय कुटीरोद्योगशाला, जिस का प्रबन्ध अक्तूबर, १९५२ तक विभाग द्वारा ही चलाया जाता था, सम्भाल लेने और चलाने के लिये १,९६,००० रुपये का ऋण दिया गया था । इस सम्बन्ध में सरकार और संघ के मध्य हुए करार की एक प्रति श्री एम० एल० अग्रवाल द्वारा १८ अप्रैल १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२५ के उत्तर में सदन पटल पर रख दी गई थी । काश्मीर की दस्तकारी की वस्तुओं की खरीदने और बेचने के लिये इस संघ को अगस्त, १९५३ में २,००,००० लाख रुपये का ऋण दिया गया था । इस ऋण पर ३ प्रतिशत का ब्याज लिया जायेगा और यह बारह मास के अन्दर चुकाना पड़ेगा ।

(ख) १२,२४० रुपये । एक विवरण, जिस में संघ के प्रबन्धक बोर्ड के सदस्यों के नाम दिये हुए हैं सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**.

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह ऋण मंजूर करने से पहिले इस संघ से कोई प्रतिभूति ली गई थी और यदि हां, तो यह प्रतिभूति कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक लाभ न कमाने वाला निकाय है । जैसा कि मैं ने बताया इस की पूंजी १२,२४० रुपये है और स्पष्ट है कि इस से प्रतिभूति नहीं ली जा सकती, किन्तु संघ के सारे प्रबन्ध के लिये हमारे पास भण्डार की प्रतिभूति है जिस का लगभग मूल्य ३ लाख रुपये है । इस संघ का प्रबन्ध अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की देख-रेख में होता है जो कि एक सरकारी संघटन है और जिस के सरकारी पदाधिकारी सदस्य हैं ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारतीय सहकारी संघ के कुछ पदाधिकारियों ने विदेशों के बाजारों की अवस्था का अध्ययन करने के लिये समुद्रपार की यात्रा की थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में इस संघ का एक पदाधिकारी एक प्रदर्शनी में सहायता देने के लिये विदेश गया था ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस संघ के उपनियमों या नियमों में किसी अन्य स्रोत से ऋण ली जाने वाली राशि पर किसी प्रकार का कोई प्रतिवन्ध है और यदि हां, तो क्या यह ऋण देते समय सरकार ने इस नियम का पालन किया है ?

श्री. टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम् : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस संघ के कितने अंश-धारी हैं और यह किन विशेषताओं के कारण एक अखिल भारतीय संघ बन गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र आधारभूत बातों की ओर जा रहे हैं । हम ने संघ के निदेशकों के नाम तो बता दिये हैं । यह एक लाभ न कमाने वाला निकाय है ; यह एक सहकारी निकाय है और माननीय सदस्य इसके कृत्यों को जानते हैं ।

शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता

*५१२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान से उजड़ी हुई किन्तु अब भारत में स्थापित किन किन शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) उन्हें यदि कोई सहायता दी गई है तो, कितनी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]**

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि वित्त सहायता देने के लिये क्या सिद्धान्त अपनाया गया है और किन आधार पर विभिन्न राशियां विभिन्न संस्थाओं को वितरित की गई हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं वह विभिन्न बातें पढ़ कर सुना देता हूं जो हमने इस के लिये रखी हैं :

(१) संस्था की आवश्यकतायें ।

(२) राज्य सरकार द्वारा सिपारिश की गई धन-राशि ।

(३) तस्दीक किये गये दावों की धन राशि ।

(४) केन्द्र अथवा राज्य सरकार से पहले ही मिलने वाली वित्त सहायता की धन राशि ।

(५) क्या संस्था पहले विद्यमान है अथवा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञात है ।

(६) छात्रों की कुल संख्या में से विस्थापित छात्रों का अनुपात ।

(७) संस्था के कर्मचारिवृन्द में कुल शिक्षकों में से विस्थापित शिक्षकों का अनुपात । इसके अतिरिक्त हमने अधिकतम राशि का उपबन्ध किया है जिसकी स्वीकृति दी जा सकती है । कालिज के मामले में १ लाख रुपया है, हाई स्कूल के लिये ५०,००० रुपये, और मिडिल स्कूल के लिये १५,००० रुपये ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय के पास अनुदान के लिये कुछ और आवेदन-पत्र लम्बित हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : हां, श्रीमान्, पांच संस्थाओं के ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि इसका निर्णय करने में मंत्रालय को कितनी देर लगेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : यूंही हमे सम्बन्धित संस्थाओं से सूचना मिलेगी यह हो जायगा ।

ऊन का निर्यात

***५१३. श्री के० पी०सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऊन के निर्यात के विषय पर चर्चा करने के लिये सम्मेलन बुलाने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो सम्मेलन में कौन आ रहे हैं ?

(ग) इस सम्मेलन का प्रधान कार्य क्या होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) . एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]**

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या किस्म पर नियंत्रण करने का कोई निर्णय किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमने इस सम्मेलन में किस्म के नियंत्रण पर चर्चा नहीं की ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस देश से कितनी ऊन का निर्यात किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह वर्ष प्रति वर्ष भिन्न होती है । कभी यह ३६० लाख पौंड होती है और कभी यह कम होकर १६० लाख पौंड रह गई है । यदि माननीय सदस्य प्रयोगात्मक निर्णयों के विषय में जो सम्मेलन में किये गये हैं जानकारी चाहते हैं तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि हमने अनुमान लगाया था कि जो ऊन उत्पादित की जायगी वह ५०० लाख पौंड होगी और सरकार ने प्रयोगात्मक आधार पर २५० लाख पौंड के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है ।

श्री के० पी० सिन्हा : मैं वे आंकड़े जान सकता हूं जिनके आधार पर सरकार देश में ऊन के उत्पादन का अनुमान लगाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यही तो कठिनाई है । मेरे पास ६ या सात अनुमान थे और जब कि सब अनुमान कुछ मिलते जुलते थे, व्यापारियों का अनुमान कुछ अधिक था । व्यापारियों ने पहले ५८० लाख पौंड का अनुमान लगाया परन्तु फिर उसे ७४० लाख पौंड तक ले गये । अन्य अनुमान प्राय: ४७० लाख पौंड और ५०० लाख पौंड के लगभग हैं । हमें कोई तदर्थ आंकड़े निश्चित करने हैं । इस कारण जो मात्रा निर्यात की जायेगी उस के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक निर्णय किया गया था ।

श्री भागवत झा : मेरे प्रश्न संख्या ५३६ को प्रश्न संख्या ५१४ के साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सुविधा-जनक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान् ।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति

***५१४. चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति के सदस्य कौन हैं ?

(ख) समिति किन आधारों पर आवेदन-पत्रों को रद्द करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह सरकारी समिति है जिस में वाणिज्य तथा उद्योग, रेल और वित्त (आर्थिक कार्यों का विभाग)

तथा उत्पादन मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधि हैं । जब कभी आवश्यकता हो तो राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि विद्यमान सदस्यों के मतों द्वारा चुने जाते हैं ।

(ख) प्रायः निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से आवेदन-पत्र रद्द किये जाते हैं :

(१) प्रस्तावित योजना सम्बन्धित उद्योग के विषय में सरकार की नीति के अनुसार न हो ।

देश में उस उद्योग के लिये अत्यधिक सामर्थ्य पहले ही विद्यमान हो ।

(३) निम्न लिखित कारणों में से किसी के आधार पर प्रस्तावित स्थान उपयुक्त न हो :

(क) कच्ची सामग्री और तैयार माल के यातायात में कठिनाइयां तथा अथवा

(ख) कच्ची सामग्री का संभरण ।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति

***५३६. श्री भागवत झा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन स्थापित अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है ?

(ख) अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति ने कितने नये उद्योगी उपक्रमों के स्थापन अथवा नये उपक्रमों को वास्तविक विस्तार के लिये अनुज्ञप्ति देने के मामलों पर विचार किया है ?

(ग) कितने मामले रद्द किये गये अथवा पुनः जांच के लिये वापस भेजे गये ?

(घ) क्या उद्योग के केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् ने अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति की सिफारिशों की जांच कर ली है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि इस का सम्बन्ध किसी विशेष सिफारिशों से नहीं है । समिति की बैठक तो मास में एक बार होती है ।

(ख) २२६ ।

(ग) ३४ मामलों को रद्द किया गया और ११ को जांच के लिये अथवा और जानकारी के लिये पुनः वापस भेजा गया ।

(घ) उद्योग की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् की उप-समिति ने अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति की सिफारिशों की पुनः जांच कर ली है और अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् को भेज दिया है ।

चौ० रघुवीर सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि प्रार्थना पत्रों की क्या संख्या थी और उन प्रार्थना-पत्रों में कितने रद्द किये गये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने (ख) भाग के उत्तर में बताया है, २२६ प्रार्थनापत्रों का निपटारा किया गया, ३४ रद्द किये गये और ११ और जांच के लिये वापस भेजे गये ।

श्री भागवत झा : श्रीमान्, क्या म भाग (घ) के उत्तर के आधार पर जान सकता हूं कि अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् ने क्या निर्णय किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् ने मुख्यतया प्रतिवेदन का अभिलेख रखा है । वस्तुतः उपसमिति ने प्रायः सब मुख्य निर्णय का अनु-

मोदन किया है और उसका मत था कि अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाली समिति ने अपने कर्तव्यों का संतोषजनक रूप से पालन किया है ।

श्री भागवत झा : क्या मैं भाग (ग) के उत्तर में जान सकता हूं कि समिति ने कितने मामले स्वीकार कर लिये ?

श्री टी०टी० कृष्णमाचारी : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय उप-समिति से है ?

श्री भागवत झा : जी हां, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कितने मामलों को स्वीकार किया था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बताया २२६ कम ११, कम ३४ ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । वे उन मामलों की संख्या जानना चाहते हैं जो वापस भेजे गये मामलों में से स्वीकार किये गये थे ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम ने अभी तक उन में से किसी का निपटारा नहीं किया ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि बनस्पति के लिये कितने आवेदन-पत्र आये थे और उनमें से कितने स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने मद्रास राज्य से आये और उन में से कितने रद्द किये गये ?

अध्यक्ष महोदय : वे एक प्रश्न पूछें सब को मिलायें नहीं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि मैं माननीय सदस्य को ये विवरण बता सकता हूं जो वे चाहते है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि रद्द किये गये आवेदन-पत्रों में से अधिकतम संख्या १० थी जो कि यंत्र चालित करघों के स्थापन से सम्बन्धित थे । आठ रद्द की गई योजनायें देश में दवाईयों को बोतल में भरने, एम्प्यूल में भरने और टिकिया बनाने से सम्बन्धित हैं, ९ योजनायें जो रद्द की गईं उन का सम्बन्ध विभिन्न उद्योगों से है परन्तु मैं समझता हूं कि उनमें बनस्पति नहीं था ।

श्री के० के०बसु : इन नई अनुज्ञप्तियों में से कितनी विदेशी पूंजीपतियों, प्रबन्ध और पूंजी वाले सार्थों को दी गईं और उन का उत्पादन सामर्थ्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारे आंकड़ों का आधार यह नहीं है मैं इस विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

ढलाई के कारखाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ परामर्शदाता

*५१५. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि चतुर्थ लक्ष्य कार्यक्रम के अधीन एक विशेषज्ञ कई ढलाई के कारखानों के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये १९५२ में नियुक्त किया गया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह विशेषज्ञ कौन था और उस का वेतन क्या था ?

(ग) उस की सिफारिशें क्या थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) श्री जोन एफ़० खुर । न तो भारत सरकार को और न ही उन ढलाई के कारखानों को ही, जिन्होंने उसकी सेवाओं का उपयोग लिया, उसे कोई वेतन देना था ।

(ग) उसने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया ।

चीन को विशेषज्ञों का दल

*५१६. **श्री रघवैय्या** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या सरकार का विचार है कि विशेषज्ञों का एक दल चीन भेजा जाय जो यह अध्ययन करे कि हवांगलो नदी को कैसे काबू में किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों के कब तक चीन रवाना होने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये विशेषज्ञों का दल चीन भेजने के प्रस्ताव की अभी जांच ही की जा रही है ।

सेठ गोविन्द दास : म मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो विशेषज्ञों को भेजने का विचार किया जा रहा है, वे लोग इसी नदी में क्या हुआ है---इस पर विचार करेंगे या और भी वहां पर इस प्रकार के जो काम हुये हैं, उन सब पर विचार करेंगे ?

श्री हाथी : वे बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं तथा बाढ़ को रोकने के उपायों का अध्ययन करेंगे ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को चीन की इस विशेष योजना को लागू करने में आने वाली टेकनीक तथा इंजनीयरी सम्बन्धी कठिनाइयों का पता है, जिससे कि यह मालूम हो सके कि भारतीय इंजीयनरों के लिये वहां जा कर कुछ सीखना लाभ-दायक होगा ?

श्री हाथी : उनके पास कुछ जानकारी है । और जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

पोर्ट पेनांग में वाणिज्य दूत का कार्यालय

*५१८. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पोर्ट पेनांग में वाणिज्य दूत का कार्यालय खोल दिया है ?

(ख) इस कार्यालय का अधिकारी किसे नियुक्त किया जायगा ?

(ग) इस कार्यालय के क्या कार्य तथा सरगर्मी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान): (क) से (ग). भारत सरकार ने एक अधिकारी पेनांग में नियुक्त करने का निश्चय किया है और इस काम के लिये एक ऐसे अधिकारी को चुना गया है जिसे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में काम करने का अनुभव है । वह जल्दी ही पेनांग जायगा । उस का कर्तव्य यह होगा कि यात्रा सम्बन्धी प्रलेख दे और उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को वाणिज्य दूतीय सहायता दे ।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति में किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : योग्यता, कार्यक्षमता और उपयुक्तता ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है उसमें ये सभी गुण हैं ?

श्री नानादास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह अधिकारी अनुसूचित जाति का है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

परियोजनाओं की वित्तीय जिम्मेदारी

*५१९. **श्री दाभी** : क्या **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विकास कार्य-क्रम के अंश के रूप में पहली पंच-वर्षीय योजना में दिखाई गई सामुदायिक परियोजनाओं, छोटे छोटे सिंचाई कार्यों और औद्योगिक मकान निर्माण योजनाओं की वित्तीय जिम्मेदारी तै करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक योजना का दायित्व केन्द्रीय सरकार तथा सम्बद्ध राज्यों पर कहां तक आता है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक योजना पर कुल कितना खर्च किया गया और वह किस स्रोत से आया ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री दाभी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि बम्बई सरकार द्वारा भेजी गई कितनी योजनायें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कीं और उस सरकार को ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई ?

श्री हाथी : बम्बई सरकार को १६० लाख रुपया ऋण के रूप में देने की स्वीकृति दी गई है । मुझे योजनाओं की संख्या का पता नहीं है ।

श्री दाभी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस क्षेत्र के लिये यह राशि मंजूर की गई थी ?

श्री हाथी : गुजरात के लिये ३८.७ लाख रुपये, कमी वाले क्षेत्रों के लिये ९१ लाख रुपये और बाकी लगभग ३० लाख रुपये ऐसे क्षेत्रों के लिये जो कमी वाले प्रदेश नहीं हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अब तक सामुदायिक परियोजनाओं का जो काम हुआ है उस के सम्बन्ध में मूल्यांकन अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री हाथी : यह तो सिंचाई के छोटे छोटे कामों के सम्बन्ध में है जिनका प्रबन्ध कृषि मंत्रालय के हाथ में है । सामुदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : यह प्रश्न सामुदायिक परियोजनाओं से भी सम्बद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

धान कूटना

*५२०. **श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री धान कूटने के सम्बन्ध में १४ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अब सरकार अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड के इस प्रस्ताव पर विचार पूर्ण कर चुकी है कि हलर मशीनों से धान कूटने के स्थान में हाथ से धान कूटना प्रारम्भ किया जाय और धान कूटने की शेलर मिलों को सामर्थ्य में वृद्धि न की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बोर्ड की मांग मान ली है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दाभी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह मांग सरकार को कब बताई गई थी और इस सम्बन्ध में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड की चिट्ठी लगभग ३ मास पहले मिली थी । जहां तक निर्णय करने का सम्बन्ध है, इस समस्या में कई कठिनाइयां हैं और इससे कई हितों—प्रमुख रूप से राज्य सरकारों—का सम्बन्ध है । और सच तो यह है कि एक राज्य सरकार ने हमारी प्रस्थापनाओं का उत्तर दिया है । बात यह है कि राज्य

सरकार के जिस प्रतिनिधि ने यह उत्तर लिखा है वह इस बोर्ड का सदस्य भी है। वह स्वयं इस बात को समझता है कि इस अवस्था में यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हाथ से चलाई जाने वाली धान कूटने की मशीन सरकार के विचार के लिये उस के पास आई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है कि मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री हेडा : यह प्रश्न दो सिफारिशों के सम्बन्ध में है। एक तो शेलर मिलों की संख्या में वृद्धि के बारे में है और दूसरा धान कूटने की हलर मशीनों के सम्बन्ध में। यदि सरकार के एक सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर सकती तो वह दूसरे के सम्बन्ध में भी क्यों निश्चय नहीं कर पाई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं फिर माननीय सदस्य का ध्यान संविधान की ओर दिलाऊंगा। इस मामले में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की मार्फत ही कार्यवाही कर सकती है। जहां तक कुछ प्रकार की मशीनों के आयात का सम्बन्ध है, जो मेरे हाथ में हैं, मैं ने उन के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

श्री दाभी : किस सरकार ने यह मांग स्वीकार कर ली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किसी भी सरकार ने नहीं। मैं ने बताया कि एक सरकार ने हमें उत्तर भेजा है और मैं यह भी बता चुका हूं कि वह कैसा उत्तर था।

खाने के तेल (मिलों द्वारा उत्पादन)

*५२१. **श्री दाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९७ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की इस सिफारिश पर विचार पूर्ण कर लिया है कि "तेल उद्योग में यह नीति अपनाई जा सकती है कि खाने के तेलों का उत्पादन ग्रामीण उद्योगों द्वारा किया जाय और अखाद्य तेलों का उत्पादन मिलों द्वारा किया जाय" ;

(ख) क्या सरकार ने अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड की इस सिफ़ारिश पर भी विचार पूर्ण कर लिया है कि सरकार को चाहिये कि देश में उपलब्ध खाने के तेलों के बीज का कुछ भाग ग्रामीण तेल उद्योग के लिये रख लें और तिल पूर्णतया घानियों के लिये ही रखें ; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त (क) तथा (ख) में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री दाभी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार योजना आयोग की सिफारिश को स्वीकर करेगी या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसे मामलों में जहां बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़े इस प्रकार दो टूक फैसले नहीं हुआ करते। इस का संवैधानिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। योजना आयोग ने बताया है कि इन उद्योगों में लोगों को काम पर लगाने के सम्बन्ध में कुछ दिशाओं में क्या सुधार किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जिन वैध शक्तियों के अधीन भारत सरकार कार्यवाही कर सकती है वे अपरिपक्व हैं पर्याप्त नहीं हैं।

श्री दाभी : अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड की सिफ़ारिशें भारत सरकार के पास कब पहुंची थीं ? सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ये सिफ़ारिशें कभी कभार आती रहती हैं और चिट्ठी पत्री हुआ करती है। ये सब बातें तीन चार महीने की हैं। जहां तक अन्तिम निर्णय करने का सम्बन्ध है, मुझे खेद है कि ऐसा करना बहुत कठिन है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन के कारण हम वैसा दृढ़ निर्णय नहीं कर सकते जैसा कि मेरे माननीय मित्र के दिमाग़ में है।

श्री बर्मन : जिस उद्देश्य से योजना आयोग ने सिफारिश की उसी प्रयोजन से कोई तीन वर्ष पहले ग्रामीण लेत उद्योग उपसमिति ने कुछ कार्यवाहियां किये जाने की सिफारिश की थी। क्या सरकार ने उस पर विचार किया है या उसे लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यहां भी कुछ कठिनाई है, कुछ तो व्यक्तिगत और कुछ प्रशासन की। प्रविधि तो यह है कि इन मामलों को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय निपटाता है। मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि इस प्रकार की रिपोर्ट थी भी। परन्तु इस सम्बन्ध में पूछ ताछ अवश्य करूंगा।

पट्टे का कारखाना

*५२२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पट्टों की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस आवश्यकता का कितना प्रतिशत माल उन पट्टे के कारखानों के द्वारा बनाया जाता है जिन के स्वामी भारतीय हैं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल की डन्लप रबड़ फैक्टरी को हाल ही में पट्टे बनाने की अनुमति दी गई है ;

(घ) यदि ऐसा है तो उक्त कारखाने देश की कुल आवश्यकता का कितने प्रतिशत माल बना रहे हैं ;

(ङ) क्या भारत सरकार ने भारतीय पट्टा-निर्माण कारखानों के उत्पादन-सामर्थ्य के बारे में कोई जांच की है ; तथा

(च) यदि ऐसा है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें सूती तथा बालों के पट्टों की मांग तथा निर्माण-सामर्थ्य के बारे में सूचना दी गई है तथा प्रशुल्क बोर्ड, १९४९ के अनुमान के अनुसार चमड़े के पट्टों की मांग का भी वर्णन है। रबड़ के पट्टों के सम्बन्ध में इसी प्रकार का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। डन्लप रबड़ फैक्टरी को १९४९ में रबड़ के पट्टों के निर्माण की अनुमति दी गई थी। कुछ भारतीय कारखानों को भी हाल में रबड़ के पट्टों के बनाने की अनुमति दी गई है। अनुमान किया गया है कि जहां तक सूती तथा बालों के पट्टों की आवश्यकता का सवाल है, भारतीय कारखाने सारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। रबड़ और चमड़े के पट्टों की आवश्यकताओं के बारे में भारतीय उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये हमें अभी आयात पर निर्भर करना पड़ता है।

विवरण

	प्रशल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित सामर्थ्य	वार्षिक मांग
सूती तथा बालों के पट्टे	२३०० टन	सूती पट्टे ७०० टन बालों के पट्टे ५००,, चमड़े के पट्टे ५००,,

श्री तषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या जबसे डन्लप रबड़ फैक्टरी को रबड़ के पट्टों के बनाने की अनुमति दीगई है,भारतीय कारखानों में उत्पादन कम हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तथ्य है कि डन्लप रबड़ फैक्टरी को अनुमति देने के बाद तीन और भारतीयों के कारखानों ने, जिन्हें पट्टे बनाने की अनुमति दी गइ है, उत्पादन आरंभ कर दिया है, इस बात का प्रमाण है कि बाज़ार में इन वस्तुओं की मांग है, परन्तु ठीक ठीक आंकड़ों के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री तुषार चटर्जी : विवरण से पता चलता है कि भारतीयों के कारखानों में उत्पादन वार्षिक मांग से कहीं अधिक है । यदि ऐसा है तो पट्टों का आयात क्यों किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बनाने का सामर्थ्य तो अवश्य है,परन्तु इसका अर्थ उत्पादन नहीं है । यह तो भाषा के निर्वचन का ही सवाल है ।

श्री तुषार चटर्जी : उत्पादन का सामर्थ्य से वास्तविक प्रतिशत अनुपात क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विवरण में मांग सम्बन्धी ब्योरा दिया गया है । उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े भिन्न भिन्न हैं । पट्टे चार प्रकार के होते हैं : बुने हुए ठोस सूती पट्टे तथा बालों के पट्टे, चमड़े के पट्टे, रबड़ प्लाई तथा ट्रान्समिशन बैल्टिंग, रबड़ से ढकी हुई कन्वेयर बैल्टिंग ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्पादन तथा सामर्थ्य का प्रतिशत अनुपात जानना चाहते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है, मुझे यह हिसाब फैलाना पड़ेगा ।

श्री एन० बो० चौधरी : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि भारतीयों की मशीनों से भारतीय आवश्यकता पूरी हो सकती है, सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के क्या उपाय किये हैं कि भारतीयों के सार्थों की वस्तुओं का भारतीय मांग के पूरा करने में प्रयोग किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह निरन्तर चलता रहने वाला काम है । सरकार सम्बन्धित उद्योगों से सदैव सम्पर्क में रहती है तथा उद्योगों से सामर्थ्य के अनुसार उत्पादन न करने के कारण पूछती रहती है । प्रायः होता यह है कि उत्पादन के अनुसार मांग नहीं होती है । मैंने बतलाया है कि कुछके प्रकार के पट्टों के सम्बन्ध में हमें आयात की अनुमति देनी पड़ती है क्योंकि उसके प्रयोग करने वाले उद्योग उत्पादित किस्म से संतुष्ट नहीं होते हैं ।

दामोदर घाटी निगम के लिये विश्व बैंक ऋण

*५२३. **श्री बी० के० दास : सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी परियोजना के लिये विश्व बैंक से प्राप्त प्रथम ऋण की सारी राशि को लिया तथा व्यय किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं तो वर्तमान स्थिति क्या है ; तथा

(ग) क्या दूसरे ऋण में से भी कोई राशि ली जा चुकी है तथा यदि ऐसा है तो इसे किस काम में लाया जा चुका है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ऋण की राशि १८५ लाख डालर है । ३१ अगस्त, १९५३ तक १४,०८५,२०६ डालर का व्यय हो चुका है ।

(ग) दूसरे ऋण से अभी तक कोई राशि नहीं ली गई ।

श्री बी० के० दास : प्रथम ऋण में से कितनी राशि को सामान तथा मशीनों के रूप में लिया गया है तथा कितनी राशि को नकद ?

श्री हाथी : सामान्यतः राशि मशीनों तथा इंजीनियरी प्रयोजनों से सामान की खरीद के लिये लिया जाता है । वास्तव में नगद कुछ नहीं लिया जाता ।

श्री बी० के० दास : दूसरे ऋण करार को कब तय किया गया था तथा राशि के लेने में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री हाथी : वास्तविक करार २३ जनवरी, १९५३ को किया गया था, परन्तु कुछेक औपचारिक बातों का पूरा करना आवश्यक था ।

श्री बी० के० दास : इस ऋण को किन प्रयोजनों से काम में लाया जायगा ?

श्री हाथी : मेथन तथा पनोहत पहाड़ी परियोजनाओं में ।

श्री वी० पी० नायर : माननीयि मंत्री ने कहा कि ऋण को मशीनों तथा सामान की खरीद के काम में लाया जायगा । इस राशि के कितने प्रतिशत भाग को अमेरिका में तथा कितने प्रतिशत भाग को अमेरिका से अतिरिक्त दूसरे देशों में मशीनों की खरीद पर व्यय किया गया है ?

श्री हाथी : इन आंकड़ों की पृथक् पृथक् मदें मेरे पास नहीं हैं ।

कम-कीमत-मकान समिति

*५२४. **श्री हेडा : निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम सितम्बर, १९५३ के दिन तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ के भाग (ख) के उत्तर में सदन पटल पर रखे गए विवरण में वर्णित कम-कीमत-मकान समिति की सिफारिश १५ पर अर्थात कि "किराये सम्बन्धी बन्दशों से डर कर लोग इमारितों में अपना धन नहीं लगाते, अतः इन बन्दशों को दूर कर दिया जाय", विचार किया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस सिफारिश में किस कार्यवाही को सोचा गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली तथा अजमेर किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९५२ के पारित करते समय इस सम्भावना को काफी महत्व दिया गया था । दूसरे राज्यों के इसी प्रकार के अधिनियमों की यह देखने के लिये जांच पड़ताल हो रही है कि क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों से ऐसी कोई सिफारिश की जा सकती है ।

श्री हेडा : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मकानों की कठिनाई को कुछ दूर करने के लिये किसी निदेश या सिफारिश सम्बन्धी परिपत्र को भेजा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं श्रीमान्

बिहार में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*५२५. **श्री एस० सी० सामन्त : पुनर्वास** मंत्री २९ अप्रैल, १९५३ के दिन तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ के उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से बिहार राज्य में अधिक विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है ; तथा

(ख) बिहार में अभी तक शिविरों तथा शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

पनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ; अक्तूबर, १९५३ तक पूर्वी पाकिस्तान के ३०३४ विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाया गया है ।

(ख) सहायता शिविरों की संख्या दो है जिन में इस समय १४४० विस्थापित व्यक्ति रह रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को बिहार से चले जा कर वापस आने वाले ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त है तथा ऐसी व्यक्तियों की किसी संख्या को अभी बतलाई गई संख्या में शामिल किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : श्रीमान्, मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है, परन्तु यह व्यक्ति अवश्य वापस आते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इन व्यक्तियों या उनके पुत्रों को कोई रोज़गार दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : उनमें अधिक संख्या किसानों की है । इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री बी० के० दास : शरणार्थियों के अन्तिम दल को बिहार कब भेजा गया था तथा उनके अभी तक शिविरों में रहने के कारण क्या हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह सामान्य प्रक्रिया है कि नए दल आते हैं तथा जब पहले के शरणार्थी बस जाते हैं तो वे उनका स्थान ले लेते हैं । अन्तिम दल के वहां भजने की तिथि की मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या 'कोलोनाइज़ेशन सोसाइटी' नाम की संस्था द्वारा, जिसका प्रधान कार्यालय रांची में है, शरणार्थियों के बसाने के लिए बिना दाम ज़मीन देने के प्रस्ताव का कोई लाभ उठाया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है । मैं पता लगाऊंगा ।

राजकीय व्यापार

*५२७. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ नई वस्तुओं में राजकीय व्यापार की नीति को अपनाने का कोई प्रस्ताव किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वे वस्तुएं क्या क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) गत जुलाई में राजकीय व्यापार समिति, १९५० की मुख्य सिफारिशों पर बाद की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए पुनः विचार करनें तथा इस बात की जांच के लिए कि क्या कुछ निश्चित प्रकारों के धागे, हथकर्घे की वस्तुओं तथा कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को वर्तमान स्थिति में राज्यों द्वारा निर्यात करने का व्यापार किया जा सकता है तथा यदि हां तो किस सीमा तक, नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । सरकार इस समय रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि राज्य द्वारा इस समय किन किन वस्तुओं में व्यापार किया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है उन पर कुछ हद तक नियंत्रण है और राज्य द्वारा आंशिक रूप से उनमें व्यापार किया जाता है । अब अधिकांश में नियंत्रण ढीला कर दिया गया है । मेरे विचार में हम सरकारी हिसाब में कुछ चीनी का आयात कर रहे हैं । मुझे इस बारे में ठीक ठीक नहीं मालूम क्योंकि यह उत्तर में खाद्य मंत्रालय की ओर से दे रहा हूं । जहां तक लोहे

और इस्पात का संबंध है हम उनके वितरण को नियंत्रित करते हैं यद्यपि वास्तव में उनमें व्यापार नहीं करते। परन्तु एक तरह से उसे व्यापार कहा जा सकता है क्योंकि लाभ का कुछ अंश समीकरण निधि में दे दिया जाता है।

श्री एल० एन० मिश्र : जैसा कि राज्य व्यापार सम्बन्धी समिति ने सुझाव दिया है क्या सरकार राज्य व्यापार के लिए एक अनुविहित निगम बनाने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री हेडा : प्रश्न के उत्तर से क्या यह निष्कर्ष निकालना ठीक है कि सरकार का विचार उन्हीं वस्तुओं में व्यापार करने का है जिनमें व्यापार करना जरा कठिन है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रकार की प्रस्थापनाओं के बारे में सरकार की नीति आवश्यकतानुसार निश्चित होगी। जहां जहां हम समझेंगे कि राज्य व्यापार से लोगों को फायदा होगा, हम उन वस्तुओं में व्यापार करने लगेंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी नीति से उपभोक्ताओं की और साथ साथ सरकारी खज़ाने को कितना लाभ होता है।

मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे उत्तर से यह निष्कष निकाला जा सकता है या नहीं।

श्री बी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि इन प्रस्थापनाओं पर विचार करते समय क्या सरकार इस अनुभव से फायदा उठायेगी जो उसे जापानी कपड़े जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में प्राप्त हुआ था, जिन में राज्य द्वारा व्यापार किया गया था, जिसके फलस्वरूप बहुत कुछ भ्रष्टाचार और गड़बड़ हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

बम्बई में शार्ट वेव ट्रांसमिटर

*५२८. **श्री भागवत झा** : (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बम्बई में अधिक शक्ति वाला शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगा रही है?

(ख) यदि हां, तो इस योजना की लागत क्या होगी ?

(ग) क्या सरकार एक मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाने पर विचार कर रही है जिस से सस्ते सैटों पर मीडियम वेव का कार्यक्रम आसानी से सुना जा सके ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) लगभग ४५ लाख रुपये।

(ग) जी हां।

श्री भागवत झा : क्या अधिक शक्ति वाला शार्ट वेव ट्रांसमिटर केवल बम्बई में लगाया जायेगा या अन्य स्थान पर भी लगाया जायेगा ?

डा० केसकर : आयव्ययक के समय इस बारे में विस्तृत सूचना दी जा चुकी है। परन्तु मैं माननीय मित्र को यह बता सकता हूं कि अधिक शक्ति वाले शार्ट वेव स्टेशन बम्बई के अलावा दो स्थानों पर और स्थापित किये जायेंगे--एक मद्रास में और दूसरा कलकत्ते के पास।

श्री भागवत झा : भाग (ग) के उत्तर को निर्दिष्ट करते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य किन स्टेशनों पर यह मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाया जायगा ?

डा० केसकर : यह सूची बहुत लम्बी है। इसे सदन पटल पर रख दिया गया है और छपवा भी दिया गया है। यदि माननीय मित्र

चाहें तो मैं एक छपी हुई प्रतिलिपि उन्हें दे सकता हूं ।

श्री जोकीम आल्वा : लगभग दो वर्ष पूर्व मैं ने एक अल्प सूचना प्रश्न की पूर्व सूचना दी थी .....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री जोकीम आल्वा : जिस में मैं ने पूछा था कि क्या बम्बई पोतघाट में पचास लाख रुपये का सामान जिसका पैसा भारत सरकार ने दिया था बेकार पड़ा हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सामान को इस काम में लाया गया है ?

डा० केसकर : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य आज या कल के कुछ अखबारों में छपी खबर के आधार पर यह प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं । किसी पोतघाट में कोई सामान नहीं पड़ा है ।

खादी

*५२९. **श्री गिडवानी :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय खादी तथा कुटीर उद्योग पर्षद के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये वक्तव्य से संबंधित अखबारों में छपी यू० पी० आई० की खबर की ओर दिलाया गया है कि एक नये प्रकार के चरखे के बनाये जाने से खादी की उत्पादन लागत कम हो सकेगी ?

(ख) उसकी लागत कितनी है ?

(ग) चरखे पर आठ घंटे प्रति दिन कताई करने वाले की औसत आमदनी कितनी होगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दामोदर घाटी निगम और कलकत्ता बिजली निगम के बीच समझौता

*५३१. **डा० एम० एम० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम और कलकत्ता बिजली निगम के बीच वर्ष १९५६ से बोकारो से कलकत्ता बिजली देने के लिये कोई अस्थायी समझौता हुआ है ;

(ख) क्या इस तरह के समझौते के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति और स्वीकृति की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दामोदर घाटी निगम ने यह स्वीकृति मांगी है और केन्द्रीय सरकार ने दे दी है ; तथा

(घ) इस समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) समझौते का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिस पर दामोदर घाटी निगम और कलकत्ता बिजली निगम द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) चूंकि समझौते के प्रारूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिये इस समय अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं ।

डा० एम० एम० दास : क्या इकट्ठी बिजली देने के ठेकों के बारे में किसी अन्य कम्पनी से बात चीत चल रही ह । यदि हां तो किस से ?

श्री हाथी : मेरे विचार में कुछ फर्मों से बात हो रही है परन्तु मेरे पास उनकी सूची नहीं

डा० एम० एम० दास : कलकत्ता बिजली निगम से प्रति यूनिट पर अस्थायी रूप से क्या दर ली जायेगी और वार्षिक वसूली कितनी होगी ?

श्री हाथी : इस पर विचार हो रहा है। बात चीत अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिस से कलकत्ता बिजली निगम दामोदर घाटी निगम से प्राप्त होने वाली बिजली पर नाम मात्र का ही लाभ ले ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

ब्रिटिश गायना

*१३३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ब्रिटिश गायना की जन-संख्या का एक बड़ा भाग भारतीय उद्भव के लोगों का है ; यदि हो तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान ब्रिटिश गायना की हाल ही की घटनाओं की ओर गया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) १९५१ के आंकड़ों के अनुसार ४३७,००० की कुल जन-संख्या में से १९७,६९६ लोग भारतीय उद्भव के थे। ब्रिटिश गायना में इन्ही लोगों का सब से बड़ा मूलवंशीय सम्प्रदाय है ; इनके बाद अफ्रीकी उद्भव के लोग आते हैं।

(ख) तथा (ग). ब्रिटिश गायना में हुई हाल की घटनाओं से सरकार परिचित है और वह इनमें बहुत अधिक दिलचस्पी रखती है। उसके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही परिस्थितियों पर तथा इस बात पर निर्भर करेगी कि उस देश के रहन वाले लोग भारत के राष्ट्रजन नहीं हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का विचार है कि अस्वशासित क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र प्रन्यासी परिषद् के सदस्य होने के नाते हम इस मामले को उठायें जैसे कि हाल ही में हमने परिषद् में मध्य अफ्रीका संघ तथा दक्षिण-पश्चिम-अफ्रीका के मामले उठाये थे ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इन मामलों पर विचार हो रहा है।

श्रीमान्, मैं सदस्यों को हंसते देख कर प्रसन्न होता हूं परन्तु मेरा ख्याल है इसमें हंसने की कोई बात नहीं। यह एक बहुत गंभीर मामला है। भारत सरकार का गैर-जिम्मेदारी से कोई ऐसी बात कहना ठीक नहीं, जिस का कोई फल न निकल सके।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि १४ और १५ अक्तूबर को जब संयुक्त राष्ट्र प्रन्यासी परिषद् में गौटमाला और पोलैंड ने ब्रिटिश गायना का मामला उठाया था, तो हम चुप क्यों रहें ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता; मुझे नहीं मालूम कि उस समय क्या हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जम्मू-पठानकोट सड़क

*५२६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर को जम्मू-पठानकोट सड़क तथा पुलों आदि

के बनाने के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को ठेका देने के बारे में व्यापक अधिकार दे दिये गये थे ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि मुख्य इंजीनियर को ठेके देने तथा बात चीत करने पर निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जम्मू-पठानकोट सड़क व पुलों के बनाने का काम विभाजन के तुरन्त बाद एक परमावश्यक कार्य के रूप में आरम्भ किया गया था । काम के ज़रूरी होने और उस क्षेत्र की विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मुख्य इंजीनियर को बिना टेंडर मांगे ठेके देने के पूरे अधिकार दे दिये गये थे ।

अनुसंधान कार्यक्रम समिति

***५३०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या राष्ट्रीय विकास से संबंधित आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक समस्याओं की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने काम शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के लिए समिति ने कितने केन्द्र चुने हैं; तथा

(ग) बिहार राज्य में कितने केन्द्र चुने गये हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) देश के समस्त विश्वविद्यालयों तथा महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थाओं के पास पत्र भेजे गये हैं परन्तु अभी तक केन्द्रों का अन्तिम रूप से चुनाव नहीं हुआ है ।

(ग) पटना विश्वविद्यालय और बिहार के विश्वविद्यालय से अनुसंधान योजनायें भेजने के लिये प्रार्थना की गई है ।

औषधि-निर्माण उद्योग

***५३२. श्री नाना दास** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि औषधि-निर्माण उद्योग को कच्चे माल के अत्यधिक मूल्य होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख), सरकार के विचार में यह कहना ठीक नहीं होगा कि सारे औषधि-निर्माण उद्योग को कच्चे माल के अधिक दामों के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है । कुछ विशेष औषधियों के निर्माण में कठिनाई हो सकती है । जिन मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाता है, उन पर विचार किया जाता है और यथासंभव सहायता दी जाती है । इस सम्बन्ध में १९ नवम्बर, १९५३ को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६९ से उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है । इस समय सारा मामला औषधि-निर्माण जांच समिति के विचाराधीन है और इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ

***५३४. श्री एच० एन० मुकर्जी** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का ध्यान श्री जान लाटनर के उन कतिपय आरोपों की ओर जो कि उन्होंने अमेरिका में मैकार्थी समिति के समक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के विरुद्ध इस संबन्ध में लगाये हैं कि प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य ने उनके कथनानुसार "न्यू यार्क में साम्यवादियों की गुप्त सभाओं" में भाषण दिये, दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या ये आरोप सच्चे हैं और यह आरोप विशेषतया किस व्यक्ति पर लगाया गया था ?

(ग) यदि आरोप सत्य नहीं है, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) से (ख), सरकार ने इस अभिप्राय के समाचार पढ़े हैं । उनमें किसी नाम का उल्लेख नहीं है । ये आरोप नितांत असत्य हैं और न्यूयार्क में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयार्क के समाचारपत्रों द्वारा पूछे जाने पर यह कहा कि ये 'बिल्कुल बकवास' हैं ।

गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दिये गये गैर-जिम्मेदार वक्तव्यों के सम्बन्ध में सरकार का और कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है ।

विजय-वाड़ा रेडियो स्टेशन

*५३५. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि विजयवाड़ा रेडियो केन्द्र के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के क्या नाम हैं ; तथा

(ग) रेडियो-केन्द्र के सुधार के लिए समिति द्वारा क्या मुख्य प्रस्ताव किये गये थे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) नई समिति की बैठक २८ नवम्बर, १९५३ को हुई थी । इस बैठक की कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है । मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहूंगा कि यह समिति केवल एक परामर्शदात्री समिति है और इसका सम्बन्ध मुख्यत: कार्यक्रमों के सुधार के लिए सुझाव देने से है ।

विवरण

विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन की नई संगठित कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नाम:

(१) डा० डब्ल्यु० एल० राय ।
(२) श्री डी० श्रीनिवास सर्मा ।
(३) श्री विस्सा अप्पा राव ।
(४) श्री के० वेंकटा राव ।
(५) श्री एम० थिरुमल राव ।
(६) श्रीमती उतुकनरी लक्ष्मीकान्तम्मा
(७) श्री अडांकी श्रीरामामूर्ति ।
(८) श्री पिंगली लक्ष्मीकान्तम ।
(९) श्री के० रामाकोटीश्वरा राव ।
(१०) श्री एम० आर० अप्पा राव ।

उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुटीरें

*५३७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विस्थापित व्यक्तियों के लिये ३० लाख रुपये की लागत से १६३० कुटीरें बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह कुटीरें कहां बनाई जायेंगी;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत बनारस नगर में भी कुछ कुटीरें बनाई जायेंगी; तथा

(घ) क्या भारत सरकार इस समस्त योजना को आर्थिक सहायता दे रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (घ). उत्तर प्रदेश में २५ लाख रुपये की अनुमानित लागत से विस्थापित व्यक्तियों के लिये कुटीरें नहीं बल्कि १६३० दुकानें बनाने की योजना है। एक विवरण जिस में बतलाया गया है कि ये दुकानें कहां बनाई जायेंगी सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]**। बनारस में ५५ दुकानें बनाने का विचार है। ये दुकानें उस रुपये से बनाई जायेंगी जो भारत सरकार राज्य सरकार को ऋण के रूप में देगी।

विकास परिषद्

*५३८. **डा० अमीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत बनाई गई प्रत्येक विकास परिषद् की कितनी बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में किन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की गई थी ?

(ख) क्या इन परिषदों से सरकार को अपने काम की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मोटरों के इंजनों और बिजली द्वारा चलने वाले पम्पों के लिये विकास परिषद्—तीन बैठकें; भारी रासायनिक पदार्थों (तेजाब और उर्वरक) के लिये विकास परिषद्—दो बैठकें। एक विवरण जिसमें यह बतलाया गया है कि इन बैठकों में किन विषयों पर चर्चा की गई थी, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ख) हां, श्रीमान्।

सामुदायिक परियोजनाएं

*५३९. **श्री झुनझुनवाला** : (क) **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक सामुदायिक परियोजनाओं पर जो रुपया खर्च किया जाता है, उसमें से कितना विदेशी उपभोक्ता की वस्तुएं और टेकनीशन आयात करने पर खर्च किया गया है ?

(ख) प्रशासनीय व्यय कितना हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सामुदायिक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उपभोग की वस्तुएं आयात नहीं की जातीं। ३१-३-१९५३ तक विदेशी टेकनीशनों पर ७८६ रु० १३ आने की राशि खर्च की गई है।

(ख) ३० जून, १९५३ तक ५५·७६ लाख रुपये।

अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

*५४०. **श्री भागवत झा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल-भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने १९५४-५५ में शुरू किये जाने वाले खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये कोई बजट तैयार किया है ?

(ख) क्या आगामी मासों में दिल्ली में एक महान् खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ?

(ग) क्या दियासलाई और तेल उद्योग के बारे में सामान्य उत्पादन कार्यक्रम समिति

की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् । किन्तु इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

विशाखापटनम पोतघाट

*५४१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि विशाखापटनम पोतघाट में छंटनी के बाद भी श्रमिकों को काम नहीं दिया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

(ग) नौ-सेना और वणिकपोत से मरम्मत के लिए जहाज़ लेने के प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला है ?

(घ) काम न होने के कारण कितने जनघंटों की हानि हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) हां ।

(ख) छंटनी के समय फालतू श्रमिकों की संख्या लगभग १३०० थी किन्तु घाट की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन में से केवल ८०० छंटनी में लाये गये थे। आशा है कि अगले वर्ष के शुरु होने तक कोई श्रमिक बिना काम के नहीं रहेंगे ।

(ग) पोतघाट में भारतीय नौ-सेना के एक जहाज की मरम्मत की जा रही है ।

(घ) अक्तूबर, १९५३ में प्रतिदिन औसतन २८० श्रमिकों को बिना काम के रखने के कारण ५३,८०८ जनघंटों की हानि हुई।

टैपियोका मांड

*५४२. **कुमारी एनी० मस्करीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में टैपियोका मांड का प्रति टन मूल्य क्या है ;

(ख) यह किस मूल्य पर उत्पादकों से खरीदी जाती है ; तथा

(ग) देश को कुल कितने मांड की आवश्यकता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मांड के मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है । बम्बई में टैपियोका मांड का वर्तमान मूल्य लगभग ९६० रुपये प्रति टन है।

(ख) उत्पादक जिस मूल्य पर टैपियोका मांड बेचते हैं, वह उपलब्ध नहीं है । तथापि उत्पादक जब टैपियोका को हरे ट्यूबर्स में बेचते हैं, तो इस का मूल्य १०५ रुपये प्रति टन से अधिक नहीं होता और जब सूखे चिप्स में बेचते हैं, तो ३०३ रुपये प्रति टन से अधिक नहीं होता।

(ग) अनुमान लगाया गया है कि देश को प्रति वर्ष हर प्रकार के ५०,०००, ५५,००० टन मांड की आवश्यकता है।

पाकिस्तान में छोड़ी हुई गाड़ियां

*५४३. **श्री बहादुर सिंह** :
सरदार हुक्म सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच किये गये हाल के एक समझौते के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया गया है कि यातायात गाड़ी का कोई मालिक दूसरे देश में बसने के लिये सीमान्त को पार करने

के समय अपनी गाड़ी एक देश से दूसरे देश में नहीं ले जा सकता ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि पंजाब (पाकिस्तान) सरकार ने निजी संचालकों की सब बसों और ट्रकों को अधिगृहीत कर लिया था और उन के ले जाने पर सर्वथा प्रतिबन्ध लगा दिया था ; तथा

(ग) क्या हिन्दुओं और सिक्खों द्वारा पंजाब (पाकिस्तान) में छोड़ी हुई गाड़ियों के सम्बन्ध में सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई बात चीत की है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हाल के समझौते के अनुसरण में कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई ।

(ख) इस विषय में सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है किन्तु विस्थापित व्यक्तियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन की गाड़ियां पाकिस्तान सरकार ने अधिगृहीत कर ली हैं ।

(ग) इस विषय पर कोई अलग बात-चीत नहीं हुई । किन्तु यातायात गाड़ियों पर १९५० का चल सम्पत्ति समझौता लागू होता है और निष्क्रांत मालिक उन्हें एक देश से दूसरे में नहीं ले जा सकते ।

हीरा कुड बांध

***५४४. श्री आर० एन० एस० देव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड बांध परियोजना के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध (१) भारतीय दंड संहिता और (२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामलों की जांच लम्बित है ;

(ख) उन में कितने मामलों की जांच (१) एक वर्ष (२) दो वर्षों और (३) तीन वर्षों या इस से अधिक समय से लम्बित हैं ; तथा

(ग) अभियोग पत्र जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत. १

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत ७

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता दोनो के अन्तर्गत ४

(ख) (१) १ ।
(२) शून्य ।
(३) शून्य ।

(ग) पुलिस द्वारा जांच अभी जारी है ।

विदेशी पूंजी की सहभागिता

***५४५. डा० अमीन : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी की सहभागिता के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार तथा उद्योग के बीच परामर्श की क्या प्रक्रिया बनाई गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारतीय उद्योग में विदेशी पूंजी की सहभागिता में सरकार की सामान्य नीति पर, जैसा कि ६ अप्रैल, १९४८ के संकल्प में उल्लिखित है तथा जिसे प्रधान मंत्री तथा मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् समय समय पर विचार विमर्श करती रहती है । इस में औद्योगिक हितों के कई एक उत्तरदायी प्रतिनिधि मौजूद हैं ।

कालीन उद्योग

***५४६. श्री कर्णी सिंहजी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा

करेंगे कि भारत में कालीन बनाने के कितने कारखाने हैं ?

(ख) इन में से कितने राजस्थान में हैं तथा किन किन स्थानों पर ?

(ग) क्या सरकार कालीन के निर्यात के सम्बन्ध में विदेश स्थित हमारे दूतावासों की सहायता से सुविधाओं की व्यवस्था करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) पांच ; बीकानेर तथा जबलपुर में ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

पाकिस्तान संविधान सभा

*५४७. **श्री गिडवानी : प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि पाकिस्तान संविधान सभा ने ७ नवम्बर १९५३ को एक फैसला किया है जिसके अनुसार भारत संघ के क्षेत्राधिकार में जूनागढ़ तथा मानवदार की जनता को संघीय विधान-मण्डल में उस समय प्रतिनिधित्व दिया जायगा जब वे मुक्त हो जायेंगे तथा कि इस अभिप्राय से पाकिस्तानी संविधान में व्यवस्था की गई है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि पाकिस्तान संविधान सभा ने यह फैसला किया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य को संघीय विधान-मण्डल में वहां की जनता के विचारों को जानकर प्रतिनिधित्व दिया जायगा तथा कि इस अभिप्राय की पाकिस्तानी संविधान में व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस अभिप्राय के पाकिस्तानी समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं ।

उत्तरी बंगाल में नदियों का परिमाप

*५४८. **श्री बीरबल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूटान सरकार से उत्तरी बंगाल की नदियों का परिमाप करने की योजना में भाग लेने की प्रार्थना की गई है, और यदि हां तो उसका क्या उत्तर है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : हां, श्रीमान, भूटान सरकार को इस योजना में कोई रुचि नहीं है ।

कोसी नियंत्रण योजना

*५४९. **श्री एल० एन० मिश्र :**
पंडित डी० एन० तिवारी :

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी नियन्त्रण योजना को आरम्भ करने के लिये कोई अन्तिम फैसला किया गया है ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि बिहार सरकार को भारत सरकार द्वारा ऐसा बताया गया है कि कोसी समस्या को हल करने के लिये योजना काल में कुछ ठोस उपाय किए जायेंगे ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ योजना काल में आरम्भ किया जायगा ।

खादी तथा अन्य हथकर्घा उद्योग विकास अधिनियम

२५८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५३ के

अधिनियम १२ की धारा ५ के अन्तर्गत नियम बनाए हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं तो यह कब बनाए जायेंगे तथा कब तक गजट में प्रकाशित होंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को एकत्र करने के लिये अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं तथा संलग्न किए जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]** दूसरे नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा इस कार्य में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक महोदय का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है ।

कच्चे काजू का आयात

२५९. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वर्ष १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ के सम्बन्ध में अफ्रीका से काजू फल के आयात करने वालों की एक सूची सदन पटल पर रखेंगे जिसमें उनके व्यापार-स्थानों के पते तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक वर्ष में आयात की गई मात्रा का वर्णन हो ?

(ख) कच्चे काजू पर यदि कोई आयात शुल्क लगाया गया है तो वह कितना है ?

(ग) उपरोक्त वर्षों में (वर्षवार) सरकारी अभिलेखों के अनुसार आयात करने वालों द्वारा कुल कितने मूल्य का भुगतान किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५१ से लेकर कच्चे काजू के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति दी गई है । इस कारण सार्थों के लिये आयात लाइसेंसों का प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। अतएव आयात करने वालों के नामों तथा प्रत्येक द्वारा आयात की गई मात्रा का ज्ञात करना सुगमता से सम्भव नहीं है। १९५० के सम्बन्ध में जब आयात के लिए लाइसेंस दिए जाते थे, आयात करने वालों के नाम तथा विभिन्न सार्थों को दिए गए लाइसेंसों के मूल्य सम्बन्धी एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) कच्चे काजू पर आयात शुल्क लागू नहीं होता ।

(ग) १९५०-५१ से लेकर आयात किए गए काजू की मात्रा तथा उसका मूल्य इस प्रकार से है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
१९५०-५१	५४,००० टन	२,८५ लाख रु०
१९५१–५२	४२,३०० टन	३,२८ लाख रु०
१९५२–५३	५१,७०० टन	४,६६ लाख रु०
१९५३–५४ (अप्रैल से सितम्बर तक)	३७,२२६ टन	२,६४ लाख रु०

एन्टीबायोटिक्स औषधियां (आयात)

*२६०. **डा० अमीन : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में अकेली या मिली जुली एन्टीबायोटिक्स औषधियों का कुल मूल्य जिनके आयात की अनुमति दी गई थी ; तथा

(ख) आयात करने वाले सार्थों के नाम तथा प्रत्येक द्वारा उपरोक्त काल में किए गए आयात का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एन्टीबायोटिक्स औषधियों के आयात के बारे में आंकड़े डा० अमीन के १६ नवम्बर, १९५३ के प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में बतला दिए गए हैं। उपलब्ध सूचना के बारे में एक विवरण

सदन पटल पर फिर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१**]

एक साथ तथा तैयार रूप से आयात की गई एन्टीबायोटिक्स औषधियों के बारे में पृथक् पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

रेलवे खदान मजदूर

२६२. **श्री वी० मिश्र :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने ५,५०० रेलवे खदान मजदूरों की छंटनी करने का निश्चय किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार उनको कौन सी वैकल्पिक नौकरी देने की प्रस्थापना करती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सरकार ने दिसम्बर, १९५२ में रेलवे खदानों से ५,६९३ फालतू मजदूरों की छंटनी का फैसला किया था, परन्तु अभी तक कोई छंटनी नहीं की गई है।

(ख) सरकार उन्हें दूसरी रेलवे खदानों में, जहां मजदूरों की मांग है, वैकल्पिक नौकरी देने का विचार कर रही है। सरकार के पास विद्यमान खदानों में उत्पादन के बढ़ाने की विकास योजनाएं भी हैं तथा ज्यूंही ये योजनाएं कार्यान्विति के लिए तैयार हो जायंगी फालतू मजदूरों की कुछ संख्या का काम पर लगाना सम्भव हो जायगा।

चाय की खेती

२६३. **श्री एन० एम० लिंगम : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८-५० तथा १९५०-५५ के विनियमन काल में नए कृषकों में वितरण के अभिप्राय से कितने भू-क्षेत्र को पृथक रक्षित किया गया है ;

(ख) १९४८-५० तथा अभी तक १९५०-५५ में कितने क्षेत्र के लिए परमिट दिए गए हैं ; तथा

(ग) १९४८-५० में तथा १९५०-५५ में अभी तक वास्तव में कितने क्षेत्र में खेती की गई है ?

वाणिज्य तथो उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में एक विवरण को संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२**]

चाय के बागात

२६४. **श्री एन० एम० लिंगम : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१, मार्च १९५३ तक भारतीय चाय-लाइसेंस समिति से (राज्यवार) पंजीबद्ध किए गए चाय के बागात की संख्या कितनी है ;

(ख) ५० एकड़ से कम क्षेत्र के बागात की (राज्यवार) संख्या कितनी है ?

(ग) ५० से १५० एकड़ तक के क्षेत्र के बागात की (राज्यवार) संख्या कितनी है ?

(घ) १५० से ३०० एकड़ तक के बागात की (राज्यवार) संख्या कितनी है ; तथा

(ङ) ३०० एकड़ से अधिक क्षेत्र के बागात की (राज्यवार) संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३**]

चाय की खती

२६५. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८-५० की विनियमन

अवधि में (१) १०० एकड़ और इस से अधिक बड़े बागानों, (२) १०० एकड़ से कम के बागानों और (३) कितने विस्तार के क्षेत्र में चाय की खेती बढ़ाने के लिये कितने अनुमति पत्र दिये गये ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (१) ७५२ अनुमतिपत्र ;

(२) २,०२७ अनुमतिपत्र ;

(३) २९,३३४·१८ एकड़।

काली मिर्च का निर्यात

२०६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ से १९५३ तक प्रतिवर्ष भारत से कितनी काली मिर्च का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारत से १९४७ के पश्चात् प्रति वर्ष निम्नलिखित मात्रा में काली मिर्च का निर्यात किया गया :—

वर्ष	मात्रा '००० हंड्रेडवेट में
१९४७	३५८
१९४८	१४९
१९४९	२७८
१९५०	२७०
१९५१	३३३
१९५२	२६४
१९५३ (जनवरी-सितम्बर)	१७८

नमक का कारखाना

२६७. **श्री नानादास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आन्ध्र राज्य में मद्रास सर्कल से सम्बद्ध कितने नमक के कारखाने हैं ; और

(ख) क्या आन्ध्र राज्य में नेल्लोर और गुन्टूर जिलों में नमक के कारखानों का एक नया सर्कल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) चार ।

(ख) जी नहीं ।

नमक उत्पादन केन्द्र

२६८. **श्री नानादास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार कितने नमक बनाने के आदर्श केन्द्र चला रही है और ये कहां स्थित हैं ; और

(ख) क्या आन्ध्र राज्य में साल्ट इस्कपल्ली में जहां कि अच्छा खारा पानी बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है (प्रदर्शन के लिये) एक आदर्श नमक बनाने का केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) बम्बई राज्य में बडाला में एक ।

(ख) आन्ध्र राज्य में एक आदर्श कारखाना खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। किन्तु इसके स्थान के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

आन्ध्र राज्य में नमक का उत्पादन

२६९. **श्री नानादास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ और १९५३ में आन्ध्र राज्य में कितनी भूमि पर नमक बनाया गया ;

(ख) इस अवधि में कितना नमक बनाया गया ; और

(ग) आन्ध्र राज्य में कितने कारखाने, सर्कल कार्यालय, डिवीजनल कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालय हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

(क) १९५१ ९,४४६ एकड़
१९५२ ७,५६१ ,,
१९५३ ७,७९५ ,,

(ख) १९५१ ६०,८४,००० मन
१९५२ ४३,८०,००० मन
१९५३ ६२,०६,००० मन
(अक्तूबर १९५३ तक)

(बिना अनुज्ञप्ति वाले उत्पादकों के उत्पादन को छोड़ कर)

(ग) कारखाने २४
सर्कल कार्यालय २ (पेनुगुडुरू और नौपाडा में)
१ (मद्रास सर्कल का भाग)
डिवीजनल कार्यालय १ (काकिनाडा में)
प्रादेशिक कार्यालय कोई नहीं । (मद्रास स्थित प्रादेशिक कार्यालय ही आन्ध्र राज्य में काम करता है)

नमक अनुसंधान केन्द्र

२७७. **श्री नानादास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे :

(क) देश में कितने नमक अनुसंधान केन्द्र हैं और ये किन किन स्थानों पर चल रहे हैं ; और

(ख) क्या नेल्लोर जिले में साल्ट इस्कपल्ली में एक नमक अनुसन्धान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सौराष्ट्र में भावनगर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अधीन एक नमक अनुसंधान केन्द्र खोला जा रहा है किन्तु निम्नलिखित स्थानों पर पांच नमक की विभागीय प्रयोगशालायें हैं :—

देवदानी	... ... साम्भर झील ।
वडाला	... ... बम्बई ।
हुम्मना	... ... उड़ीसा ।
टोंडियारपेट	... ... मद्रास ।
टूटीकोरिन	... ... मद्रास ।

(ख) जी नहीं ।

कोयला खानें

२७१. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार कितनी कोयला खानों को चलाती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : ग्यारह ।

कृत्रिम मणियां

२७२. **श्री राजगोपाल राव :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष भारत में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की कृत्रिम मणियों और कृत्रिम हीरों का आयात किया गया ?

(ख) (१) आयात की हुई न तराशी हुई और तराश कर मणि बनाई हुई कृत्रिम मणियों का अलग अलग और (२) न तराशे हुए तथा तराश कर हीरे बनाये हुए अन्य कृत्रिम हीरों पर कितना आयात शुल्क लिया जाता है ?

(ग) क्या भारत में कृत्रिम हीरों का निर्माण करने वाले कोई उद्योग उपरोक्त चीजें बनाते हैं ?

(घ) क्या भारत सरकार इस उद्योग को कोई संरक्षण या विशेष प्रोत्साहन देती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सामुद्रिक व्यापार के लेखे से कृत्रिम मणियों के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं मिलते हैं।

(ग) तथा (घ). यहां कृत्रिम मणियों का निर्माण नहीं होता । किन्तु राजस्थान और मद्रास में कुटीरोद्योग के रूप में आयात की हुई कृत्रिम मणियों को तैयार किया जाता है । क्योंकि अभी तक इस का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है, अतः इस समय संरक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी विद्युत् शक्ति संयन्त्र उद्योग

२७३. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कौन कौन से सार्थ भारी विद्युत् शक्ति संयन्त्र उद्योग की परियोजना में धन से तथा प्रौद्योगिक रूप से भाग लेने को तैयार हैं ; और

(ख) क्या उन्होंने वर्तमान अवस्था का पर्यालोकन आरम्भ कर दिया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जर्मनी की मैसर्स सीमेन्स, ब्रिटेन की इंग्लिश इलैक्ट्रिक कम्पनी और ब्रिटेन की एसोशियेटिड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड।

(ख) सीमेन्स ने इस देश के बाजार की स्थिति और उत्पादन की सुविधाओं का स्थानीय रूप से अध्ययन करने के लिये यहां एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा था । इस प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों और सम्बद्ध पदाधिकारियों से भी विचार विमर्श किया था और तब यह दल परियोजना को तैयार करने के लिये जर्मनी लौट गया । भारत सरकार के विचार के लिये इस का प्रतिवदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी और एसोशियेटेड इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के प्रस्तावों की परीक्षा की जा ही है ।

प्रवर्त्तन निदेशालय (वाणिज्य मंत्रालय)

२७४. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में अब तक प्रतिवर्ष वाणिज्य मंत्रालय के प्रवर्त्तन निदेशालय ने कितने मामले पकड़े ;

(ख) कितने मामले न्यायालयों में भेजे गये और कितने मामलों में दण्ड दिया गया ;

(ग) उक्त अवधि में मंत्रालय ने कितने मामले निदेशालय को सौंपे हैं ; और

(घ) निदेशालय ने मोटे रूप में किस किस प्रकार के मामलों की जांच की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) मंत्रालय ने प्रतिवर्ष लगभग पन्द्रह मामले केन्द्रीय प्रवर्त्तन निदेशालय को सौंपे थे ।

(घ) निदेशालय ने मोटे रूप में निम्न प्रकार के मामलों की जांच की :

(१) चोर बाजारी ।

(२) गलत मूल्यांकन और मानदण्ड से निम्न प्रकार के माल का उत्पादन ; और

(३) नियंत्रित माल के उत्पादन और बिक्री के सम्बन्ध में गलत ब्योरा देना ।

सुपारी का आयात

२७५. श्री मुनिस्वामी : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य को १९५३

के उत्तरार्ध में सुपारी का आयात करने के लिये कितनी अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ?

(ख) उन में से कितने नवागन्तुक हैं ?

(ग) इस अनुज्ञप्ति को प्राप्त करने के लिये मद्रास राज्य से कुल कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे और उन में से कितने अस्वीकृत कर दिये गये थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण नत्थी किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

बीकानेर हाऊस गोदाम

२७६. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर हाऊस नई देहली के आंगन में सामान के अस्थायी गोदाम बनाने की लागत का क्या अनुमान लगाया गया और वस्तुतः क्या लागत आई ;

(ख) ये गोदाम किस प्रयोजन के लिए बनाए गये ; तथा

(ग) इन गोदामों के फर्श का क्षेत्र क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अनुमानित लागत २,०७,५४० रुपये; वास्तविक लागत १,८२,४६९ रुपये।

(ख) ये कमरे हीराकुड डैम, ककरापर वेयर और नहरी परियोजनाओं के लिये नकशों का काम करने वाले कर्मचारी वृन्द के लिए कार्यालय के स्थान का उपबन्ध करने के लिये बनाए गये थे।

(ग) फर्श का क्षेत्र १८·४६६ वर्ग फुट है।

अगरतला में विद्युत् संभरण

२७७. श्री दशरथ देव : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगरतला (त्रिपुरा) में विद्युत संभरण प्रायः टूट जाता है ; तथा

(ख) सरकार विद्युत संभरण को निरंतर रखने के लिये क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) सरकार इस विषय पर सक्रिय विचार कर रही है और स्थिति को यथा-शीघ्र सुधारने के लिये पग उठाये जा रहे हैं।

त्रिपुरा में सामुदायिक परियोजनाएं

***२७८. श्री दशरथ देव :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास परियोजना के कार्य केलिए त्रिपुरा सरकार के लिए अब तक कुल कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ?

(ख) सामुदायिक परियोजनाओं के लिए कितने क्षेत्र चुने गये हैं और वे स्थान कहां हैं ?

(ग) इन परियोजनाओं में से कितनों का उप-क्रम किया गया ?

(घ) त्रिपुरा मे प्रति वर्ष अर्थात अब तक सामुदायिक विकास योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(ङ) कार्य के किन पदों को प्राथमिकता दी जाती है ?

(च) क्या सरकार त्रिपुरा के जिरानियां सामुदायिक परियोजना क्षेत्र की प्रगति का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) १९५२-५३ में एक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये ३ वर्ष की कालावधि के लिए १७.९२ लाख रुपये के व्यय का अनुमोदन किया गया।

(ख) तथा (ग). नूतन हवेली और सदर अग्रताला में एक सामुदायिक विकास खण्ड है ।

(घ) ३०-९-५३ तक २.१७४ लाख रुपये ।

(ङ) निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य को प्राथमिकता दी गई है ;

(१) कृषि तथा पशु पालन ।
(२) सिंचाई ।
(३) कृषि योग्य बनाना ।
(४) संचरण ।
(५) स्वास्थ्य तथा सफाई ।

(च) एक विवरण पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

२७९. श्री दशरथ देव : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन में विस्थापित लोगों के कुल कितने शिविर और बस्तियां हैं ;

(ख) प्रत्येक शिविर और बस्ती में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ?

(ग) प्रत्येक शिविर में कितने विस्थापित व्यक्तियों को सहायता दी जा रही है ;

(घ) प्रत्येक बस्ती में कितने विस्थापित व्यक्तियों नें पुनर्वास ऋण की पूरी राशि ले ली है ; तथा

(ङ) कितने विस्थापित व्यक्ति १९५३ में शिविरों को छोड़ गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ). विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट संख्या ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ङ) बस्तियों में ९८, शिविरों से कोई नहीं ।

अनुसूचित जाति के विस्थापित व्यक्ति

२८०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में विस्थापित जाति के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ; तथा

(ख) जिन को पुनः बसाया जा चुका है उन की संख्या ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). विस्थापित हरिजनों के जनगणना के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बुधवार,
२ दिसंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

८२९

८३०

लोक सभा

बुधवार, २ दिसम्बर १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३० म० प०

[सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क आयोग अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन विवरण

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं, अर्थात् :

(१) फेरोसिलिकोन उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या १७(१) टी. बी. /५३, दिनांक २८ नवम्बर, १९५३ ।

[पुस्तकालय में रख दिये गये । देखिये संख्या एस–१८१/५३]

(३) पेन्सिल उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(४) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ४४ (२)—टी. बी./५३, दिनांक २१ नवम्बर, १९५३ ।

(५) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२) के परादिक के अधीन विवरण जिस में इस बात के कारण बताये गये हैं कि उपरोक्त (३) और (४) में उल्लिखित दस्तावेज़ों की एक एक प्रति नियत अवधि के अन्दर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

[पुस्तकालय में रख दिये गये । देखिये एस–१८०/५३]

(६) बटन उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ।

(७) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या ४५(१)–टी. बी./५३ दिनांक २८ नवम्बर, १९५३ ।

(८) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ४५(१)–टी. बी./५३, दिनांक २८ नवम्बर, १९५३ ।

[पुस्तकालय में रख दिये गये । देखिये संख्या एस–१७९/५३]

अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८५६, दिनांक १ अक्तूबर, १९५३.

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ३० की उपधारा (४) के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८५६, दिनांक १ अक्तूबर, १९५३ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस–१८४/५३**]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचनायें

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं, अर्थात्:

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८५५, दिनांक १ अक्तूबर, १९५३ ।

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८५७, दिनांक, १ अक्तूबर, १९५३ ।

(३) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८५८, दिनांक, १ अक्तूबर, १९५३ ।

[**पुस्तकालय में रख दिये गये । देखिय संख्या एस–१८४/५३**]

(४) अधिसूचना संख्या ९(७) आई ए (जी)/५३, दिनांक १ अक्तूबर, १९५३ ।

[**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस–१८५/५३**

(५) अधिसूचना संख्या ९(१) आई ए (जी)/५३, दिनांक १४ नवम्बर, १९५३ ।

[**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस–१८६/५३**]

(६) अधिसूचना संख्या ९(१) आई ए (जी)/५३, दिनांक १४ नवम्बर, १९५३ ।

[**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस–१८६/५३**]

(७) अधिसूचना संख्या ९ (२) आई ए (जी)/५३, दिनांक १४ नवम्बर, १९५३ ।

[**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये संख्या एस–१८७/५३**]

(८) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०८५ दिनांक १० नवम्बर १९५३ ।

[**पुस्तकालय में रख दी गई । देखिये एस–१८८/५३**]

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब 'सदन बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाये' इस प्रस्ताव पर आगे और विचार करेगा । माननीय वित्त मंत्री ।

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): माननीय सदस्यों ने सामान्य रूप से जो इस विधेयक का समर्थन किया है मैं इस के लिये उन का आभारी हूं । वस्तुत: कल ८ माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और किसी ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया । केवल एक सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का उल्लेख किया । दूसरों ने प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं किया । श्रीमान् मैं यह मान लेता हूं कि सदन इस विधेयक के अधिकांश उपबन्धों से सामान्यतया सहमत है । इस का समर्थन करते समय अधिकांश सदस्यों ने कुछ बातें भी कही हैं और इस विधेयक के कुछ उपबन्धों

के विरुद्ध कुछ शिकायतें भी की हैं। मैं एक एक कर के उन बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

इस विधेयक के विरुद्ध सामान्य शिकायत यह है कि यह विधेयक बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है कि शरारत पहिले ही हो चुकी है और इस विधेयक से धन जमा करवाने वालों का कोई भला नहीं हो सकेगा। मैं कुछ हद तक उन से सहमत हूं। मैं भी यही समझता हूं कि काफी शरारत हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि परिसमापकों के हाथ में गये हुए जमा करवाने वालों के धन को कैसे निकाला जा सकता है। इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैं ने अपने भाषण में समापन प्रक्रिया जांच समिति के प्रतिवेदन से बहुत से उदाहरण दे कर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि यह शरारत बहुत गम्भीर प्रकार की है और सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर के ही यह संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया है। अन्य बहुत से सदस्यों ने भी उस समिति के प्रतिवेदन में से उद्धरण दिये हैं। मुझे उन के विषय में कुछ नहीं कहना है। परन्तु फिर भी मुझे यह आशा है कि यह विधान जमा करवाने वालों के लिये बिल्कुल निरर्थक नहीं है। हमें जमा करवाने वालों के बहुत से पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में उन्हों ने लिखा है कि इस विधेयक से उन की कठिनाइयां कुछ हद तक दूर हो जायेंगी।

कुछ सदस्यों ने सरकार और रक्षित बैंक की क्रियाहीनता के लिये आलोचना की है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि यदि वे रक्षित बैंक से किसी कारण से असन्तुष्ट हैं तो उन्हें इस सम्बन्ध में उस की कठिनाइयों को भी समझना चाहिए। मैं इस पर बाद में कुछ कहूंगा। श्री एच० एन० मुकर्जी ने कहा है कि इस विधेयक से जमा करवाने वालों को कुछ हानि ही होगी। उन का यह विचार है कि भारतीय समवाय अधिनियम की धारा १७८ क के अधीन समाप्त होने वाले व्यापारिक समवाय में धन जमा करवाने वालों को कुछ सुविधायें मिली हुई हैं और वह सुविधा इस विधेयक द्वारा नहीं दी गई है। मैं उन्हें बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५ ख देखने के लिये कहूंगा जिस में यह कहा गया है कि समापन करने वाले उच्च न्यायालय या न्यायालय को भारतीय समवाय अधिनियम के इस उपबन्ध का प्रयोग न किये जाने की आज्ञा देने का पूरा अधिकार होगा। अतः इस विधेयक में बैंकिंग समवाय अधिनियम के अधीन समापन प्रक्रिया के सम्बन्ध में पहिले सामान्य रूप से जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता था उस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्रीमान माननीय सदस्य ने कल ये बातें कहते समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में कुछ कहा था और आप ने यह ठीक ही कहा था कि उच्च न्यायालय के विषय में कठोर शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं है। परन्तु मैं उन की इस बात से सहमत हूं कि कम से कम बंगाल में लोग सामान्य रूप से यह समझते हैं कि समाप्त होने वाले बैंकों में जमा करवाने वालों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में वहां का उच्च न्यायालय न जाने किस कारण से उचित रूप से कार्य नहीं कर सका। उन्हों ने यह भी कहा था कि बैंकिंग समवाय अधिनियम और पहिले अध्यादेश के अधीन जो नियम बनाये जाने चाहियें उस न्यायालय को वे नियम बनाने का भी समय नहीं मिला।

इसी कारण हम वर्तमान विधेयक की अनुसूची ४ में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उपबन्ध कर रहे हैं। सभी नियमों का बना कर इस अधिनियम में रख देना सम्भव नहीं

[श्री ए० सी० गुहा]

है और इसलिये कुछ अन्य नियम उच्च न्यायालय द्वारा बनाये जायेंगे। आखिर जब कुछ विधान सम्बन्धी कार्यवाही करनी होगी तो हमें न्यायालय की देख-रेख में ही चलना होगा।

उन्हों ने नाथ बैंक के परिसमापकों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कुछ कहा था। अब क्यों कि डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी सब विवादास्पद विषयों से ऊपर उठ गये हैं अतः क्या ही अच्छा होता यदि वे उन का नाम इस में न घसीटते। मैं उन की इस बात से सहमत हूं कि उस बैंक के परिसमापकों को बहुत अधिक पारिश्रमिक मिल रहा है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें २,००० रुपये मासिक का निश्चित पारिश्रमिक मिल रहा है। तीन परिसमापकों को उन के कमीशन की निश्चित दर के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है, जो कि प्रति व्यक्ति २,००० रुपये से कुछ अधिक बैठता है।

उपाध्यक्ष महोदय : २,००० रुपये प्रति मास से अधिक ?

श्री ए० सी० गुहा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो श्री मुकर्जी ने कहा था।

श्री ए० सी० गुहा : परन्तु ये २,००० रुपये निश्चित तो नहीं हैं। ये तो कमीशन की दर के अनुसार हिसाब लगा कर बनते हैं।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : दर क्या है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह तो उत्तरोत्तर कम होती जाती है। पहिले कुछ लाख पर ५ प्रतिशत होगी और इसी प्रकार आगे और होगी। चाहे कुछ भी हो, मैं यहां यह बतला देना चाहता हूं कि.....

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुझे अच्छी प्रकार स्मरण है कि न्यायालय में उस समय २,००० रुपये का उल्लेख किया गया था। मैं कभी कभी वहां जाता रहा हूं और इस सम्बन्ध में कुछ अवधि निश्चित कर दी गई थी कि इतने समय तक सम्बद्ध परिसमापकों को यह राशि मिलेगी।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे ज्ञात है कि वे अस्थायी रूप से २,००० रुपये प्रति मास लेते रहे हैं, किन्तु वार्षिक रूप से गणना करने पर ये तीनों पारिसमापकों में से प्रत्येक के हिस्से २,००० रुपये से कुछ अधिक पड़ेंगे। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि यह २,००० रुपये मासिक का निश्चित पारिश्रमिक नहीं है।

इस के बाद उन्हों ने मेरे बारे में कुछ कहा था कि जब मैं कलकत्ते में था तो मैं ने जो कुछ भी हुआ था उस सब का दोषी सामान्य जमा करवाने वालों को ही ठहराया था। मेरे विचार में मैं ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं ने यदि किसी को दोष दिया था तो वह कलकत्ते की साधारण जनता थी। मैं ने उस समय यह कहा था कि जिन लोगों ने जमा करवाने वालों के धन का शोषण किया है और जो जमा करवाने वालों के धन से धनवान बन गये हैं उन के विरुद्ध कोई रोष संताप नहीं प्रकट किया गया। मैं ने जमा करवाने वालों को कोई दोष नहीं दिया अपितु राजनैतिक दलों के नेताओं या सभी दलों के सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही दोष दिया जिन्हें कि इस बात को बंगाल की सारी जनता की मांग बना देना चाहिये था और ऐसी चीज़ को सहन नहीं करना चाहिये था। मेरे विचार में इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मैं ने अपने भाषण के अन्त में यह कहा था कि जिस तरीके से इन में से कुछ बैंक चलाये जाते थे और जिस तरीके से समापन की

कार्यवाही की गई उन सब को देख कर मुझे बंगाली होने के कारण, लज्जा अनुभव होती है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने रिज़र्व (रक्षित) बैंक का ज़िक्र किया है । बैंकिंग समवाय अधिनियम में यह उपबन्ध था कि रिज़र्व बैंक को परिसमापित किये जाने वाले बैंक का परिसमापक नियुक्त किया जा सकता है और यदि रिज़र्व बैंक इस के लिये आवेदन करता है तो किसी दूसरे को परिसमापक नहीं बनाया जा सकता । जब वह विधेयक प्रवर समिति में था तो मैं उस समिति का सदस्य था और मैं ने भरसक यह प्रयत्न किया कि अधिनियम में यह उपबन्ध होना चाहिये कि सब ही मामलों में रिज़र्व बैंक को परिसमापक नियुक्त किया जाये ; परन्तु वित्त मंत्री और रिज़र्व बैंक ने इस सुझाव को नहीं माना क्योंकि उन का कहना था कि इस तरह का काम करने के लिये उन के पास प्रशिक्षित लोगों की कमी है । परिसमापन कार्यवाही एक विशेष प्रकार की क़ानूनी कार्यवाही होती है और इस के लिये आवश्यक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत होती है । रिज़र्व बैंक के लिये ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों को भर्ती करना संभव नहीं हो सका है ।

एक और बात है जिसे इस सम्बन्ध में याद रखना चाहिये । इन में से कुछ मामलों में रिज़र्व बैंक लेनदार था और यह एक प्रथा रही है कि कोई भी व्यक्ति या निकाय जिस का परिसमापित होने वाले समवाय की परिसम्पत में स्वत्व हो परिसमापक नियुक्त नहीं हो सकता । चूंकि रिज़र्व बैंक का इन में से कुछ बैंकों की—विशेषतः कुछ बड़े बड़े बैंकों की परिसम्पत् में स्वत्व है, इसलिये न्यायालय रिज़र्व बैंक को परिसमापक नियुक्त नहीं कर सका । नाथ बैंक के मामले में रिज़र्व बैंक को परिसमापक बनाया गया था परन्तु किसी पक्ष ने उच्च न्यायालय में एक दरख्वास्त दे दी कि चूंकि रिज़र्व बैंक का इस में स्वत्व है, इसलिये उसे परिसमापक नहीं बनाना चाहिये । इस पर रिज़र्व बैंक को वहां से अलग होना पड़ा ।

रिज़र्व बैंक के बारे में अपनी राय क़ायम करने से पहले मैं समझता हूं माननीय सदस्य कुछ और बातों पर, जिन्हें मैं अभी आप के सामने रखता हूं ध्यान देंगे । वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत हम परिसमापन का कार्य उच्च न्यायालय तथा न्यायालय के परिसमापक को सौंप रहे हैं परन्तु तब भी हम रिज़र्व बैंक को परिसमापन कार्यवाही पर निगरानी रखने के लिये पर्याप्त अधिकार दे रहे हैं । हम ने यह भी उपबन्ध किया है कि केन्द्रीय सरकार रिज़र्व बैंक से किसी भी बैंक की परिसमापन कार्यवाही में जांच करने के लिये कह सकती है और उस हालत में रिज़र्व बैंक अपनी रिपोर्ट इस सदन को और उच्च न्यायालय को देगा । कई बार इस सदन को अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के बारे में निराशा हुई है क्योंकि परिसमापक केवल उच्च न्यायालय के प्रति ही उत्तरदायी था—न वह रिज़र्व बैंक के प्रति उत्तरदायी था और न केन्द्रीय सरकार के प्रति । इसलिये हम ने इस विधेयक में यह उपबन्ध किया है कि केन्द्रीय सरकार रिज़र्व बैंक से किसी भी बैंक की परिसमापन कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिये कह सकती है ; उच्च न्यायालय तक रिज़र्व बैंक से ऐसे करने के लिये कह सकता है और उस हालत में रिज़र्व बैंक अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय सरकार दोनों को प्रस्तुत करेगा ।

फिर, माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित धारा ३८क (३) के परन्तुक पर आपत्ति प्रकट की है । विधेयक में यह उपबन्ध है कि

[श्री ए० सी० गुहा]

ज्यों ही न्यायालय का परिसमापक नियुक्त हो, सारी विचाराधीन परिसमापन-कार्यवाहियां उस को सौंप दी जायें "परन्तु यदि उच्च न्यायालय यह समझे कि न्यायालय के परिसमापक को नियुक्त करने से बैंकिंग समवाय में रुपया जमा करने वाले लोगों के हितों को हानि पहुंचेगी तो वह सरकारी परिसमापक के पद पर नियुक्त व्यक्ति से ही काम करते रहने के लिये कह सकता है।' बहुत से माननीय सदस्यों ने इस परन्तुक पर आपत्ति उठाई है और मैं समझता हूं कि उन की आपत्ति कलकत्ते में हुई परिसमापन कार्यवाही के बारे में उन के अनुभव पर मुख्यतः आधारित है। मैं मानता हूं कि इस परन्तुक के बारे में सन्देह करने के बहुत कुछ कारण हैं। फिर भी, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि हम उच्च न्यायालयों को उन के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। हमें उच्च न्यायालयों के सद्भाव पर निर्भर करना ही होगा, हम यह मान कर आगे नहीं चल सकते कि उच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये। उन्हों ने मुख्य रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय की आलोचना की ; मैं आशा करता हूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय इस सदन में व्यक्त भावनाओं को अवश्य ध्यान में रखेगा और विचाराधीन परिसमापन कार्यवाहियां ग़ैर-सरकारी परिसमापकों के पास ही रहे चले आने देने के बारे में अपने विकल्प का सावधानी से प्रयोग करेगा। इस पर भी, यदि केन्द्रीय सरकार यह सोचेगी कि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसे रिज़र्व बैंक से संबंधित बैंकों की परिसमापन कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिये कहने का अधिकार होगा और केन्द्रीय सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा उच्च न्यायालय का ध्यान उन बैंकों की परिसमापन कार्यवाही के बारे में असंतोषजनक स्थिति की ओर दिलाया जा सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं हम ने इस मामले में काफी सावधानी बरती है।

श्री बी० दास ने रिज़र्व बैंक के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं समझता हूं वे विधेयक पर बोलने की अपेक्षा रिज़र्व बैंक के विरुद्ध ही अधिक बोले हैं।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : यदि रिज़र्व बैंक ने ठीक तरह से काम किया होता, तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं होती।

श्री ए० सी० गुहा : जी हां। वित्तीय विषय पर माननीय सदस्य जो राय प्रकट करते हैं उन पर सरकार और संबंधित अधिकारी उचित ध्यान देते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि रिज़र्व बैंक के बारे में उन्हों ने जो मत प्रकट किया है उन पर भी उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री बी० दास : धन्यवाद, मैं यही चाहता हूं।

श्री ए० सी० गुहा : श्री यू० एम० त्रिवेदी ने सार्वजनिक परीक्षण के बारे में कुछ सन्देह प्रकट किये हैं। उन्हें यह सन्देह है कि सार्वजनिक परीक्षण कौन करेगा। उन्हें यह डर है कि उच्च-न्यायालय अभियोक्ता न बन जाये। इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध नहीं है। उच्च न्यायालय न्यायालय के रूप में काम करेगा और न्यायालय का परिसमापक सार्वजनिक परीक्षण करेगा ; डाइरेक्टर को अपना बचाव करने के लिये पूरा अवसर दिया जायेगा। मैं ने जो संशोधन दिया है उस में आगे यह उपबन्ध है कि डाइरेक्टर को सार्वजनिक परीक्षण के लिये बुलाने से पहले इस का जवाब देने के लिये मौक़ा दिया जायेगा कि उसे सार्वजनिक परीक्षण के लिये क्यों न बुलाया जाये। इस

उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए, मैं आशा करता हूं कि श्री य० एम० त्रिवेदी के सन्देह काफ़ी हद तक दूर हो सकेंगे ।

श्री आर० के० चौधरी ने परिसीमन काल के बारे में कुछ कहा है । डाइरेक्टरों के कुछेक दायित्वों के लिये, हम ने इस विधेयक में उपबन्ध किया है कि कोई परिसीमन काल नहीं होना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने देशबन्धु चितरंजन दास का उदाहरण दिया और इस से मैं समझता हूं कि वह इस बात से सहमत हैं कि परिसीमन का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिये । दायित्व को तो हमेशा पूरा करना पड़ता है । परन्तु उन्हें यह भी समझना चाहिये कि बैंक का डाइरेक्टर जमा करने वाले लोगों के रुपये से काम करता है जिन का बैंक के प्रबन्ध में उस का चुनाव करने के बारे में कोई हाथ नहीं होता । एक बैंक के डाइरेक्टर और एक व्यापारिक समवाय के डाइरेक्टर में अन्तर होता है । व्यापारिक समवाय में, डाइरेक्टर अंशधारियों के रुपये से काम करता है ; अंशधारी डाइरेक्टरों को चुनते हैं और वे इस तरह अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं । परन्तु बैंक में जो लोग रुपया जमा करते हैं उन के रुपये से और बीमा कम्पनी में पालिसी रखने वाले लोगों के रुपये से काम लिया जाता है । इस सरकार का, अन्य प्रगतिशील सरकारों की तरह, यह सिद्धान्त रहा है कि बैंकों में रुपया जमा करने वालों के और बीमा कम्पनियों में पालिसी रखने वालों के हितों की रक्षा की जाय; इन दो मामलों में अंशधारियों के हित का अधिक महत्व नहीं इसलिये बैंकिंग समवाय के डाइरेक्टरों को उन लोगों के रुपये का ठीक तरह से प्रयोग करने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये जिन का समवाय के प्रबन्ध में उन के चुने जाने के बारे में कोई हाथ नहीं होता । यह बात नहीं है कि डाइरेक्टरों के सारे दायित्वों का कोई परिसीमन नहीं होगा । केवल कुछ संविदात्मक दायित्वों का कोई परिसीमन नहीं होगा ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं जान सकता हूं कि दायित्व डाइरेक्टरों तक ही, जब तक वे जीवित रहेंगे, सीमित होगा या उन के वंशजों पर भी आयगा ?

श्री ए० सी० गुहा : यदि उन्हों ने कोई ऋण लिया है तो उस का दायित्व उन के पुत्रों और पौत्रों पर आयेगा क्योंकि उन्हों ने भी उस ऋण से फ़ायदा उठाया है । परन्तु यदि वह केवल डाइरेक्टर का दायित्व है तो स्वभावतः डाइरेक्टर की मृत्यु के साथ वह भी ख़त्म हो जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्रीमान्, मैं एक सूचना चाहता हूं । यहां पर "संविदा, व्यक्त अथवा उपलक्षित" (contract, express or implied) शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । इस से क्या मतलब है ?

श्री ए० सी० गुहा: क़ानून में इस का जो मतलब है वही निकाला जाये । मेरी राय में माननीय सदस्य इस को ठीक तरह से समझ सकते हैं ।

श्री तुलसीदास : (मेहसान पश्चिम) माननीय मंत्री ने अभी कहा कि बैंकिंग समवाय के डाइरेक्टरों का कुछ और उत्तरदायित्व होना चाहिय और उन्हें जमा करने वाले लोगों के रुपये के लिये ज़िम्मेदार होना चाहिये । क्या मैं माननीय उपमंत्री को यह बता सकता हूं कि बीमा कम्पनियों के बारे में इस तरह का कोई क़ानून नहीं है ? किसी भी देश में इस तरह का कोई क़ानून नहीं जिस के द्वारा बैंकिंग समवाय के डाइरेक्टरों पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व डाला जाय ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे देश में एक असाधारण

[श्री ए० सी० गुहा]

स्थिति खड़ी हो गई थी और उसी संकट-कालीन स्थिति का सामना करने के लिये यह क़ानून है। यदि किसी राष्ट्र के आर्थिक जीवन में इस तरह की संकट-स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां की सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उस स्थिति का मुक़ाबला करन के लिये संकटकालीन क़ानून बनाये।

फिर, श्री चौधरी ने संक्षिप्त परीक्षण के बारे में भी ज़िक्र किया। आप खंड ४५ के उपखंड (१) के परन्तुक को पढ़ें जो इस प्रकार है :

"बशर्ते कि वह अपराध ऐसा हो जो इस अधिनियम के अन्तर्गत या भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय हो।"

तो इस के द्वारा सब अपराधों के लिये संक्षिप्त परीक्षण का उपबन्ध नहीं हो रहा है फिर उन्हों ने कहा कि छोटी राशि जमा करने वालों के मुक़ाबले में जमा करने वाले ग़रीब लोगों को २०० रुपये दिये जाने चाहियें। मैं नहीं जानता कि रुपया जमा करने वाले ग़रीब और धनी लोगों में किस तरह भेद किया जा सकेगा ; फिर यदि हम इस राशि को १०० रुपये से बढ़ा कर २०० रुपये कर देंगे तो बहुत से मामलों में जमा करने वाले दूसरे लोगों को देने के लिये बहुत कम रुपया रह जायेगा।

श्री टी० के० चौधरी ने एक बैंक के मामले का बर्णन किया है। उन्हों ने नाम तो नहीं बतलाया, परन्तु मेरा अनुमान है कि उन का निदश 'यूनियन बैंक आफ़ बैंगाल' से है। इस बैंक को अब एक विनियोजन संस्था में बदला जा रहा है तथा मैं इस विषय में बहुत अधिक बातें नहीं कहना चाहता। उन्हें यह अनुभव करना चाहिये कि उन्हें उन बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिये जो सम्भव है उन्हें बतलाई गई हों सकता हो। है कि चित्र का दूसरा रुख भी हो। यह एक प्रत्यय संस्था है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बैंक के विरुद्ध कार्यवाही का पर्याप्त कारण था।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : इस बात की क्या गारंटी है कि उन सारे मामलों में जिन में अभियोग लगाए गए हों, जांच करने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री ए० सी० गुहा : ऐसे सब मामलों में हमें रक्षित बैंक पर निर्भर करना पड़ता है। रक्षित बैंक समय समय पर निरीक्षण करता रहता है तथा ऐसे कई एक निरीक्षणों के बाद वे कोई कार्यवाही करते हैं। मैं मानता हूं कि मतभेद की गुंजाइश है। हो सकता है कि रक्षित बैंक किसी कार्यवाही को उचित समझे जो जनता के मतानुसार अनुचित हो। यह सब कुछ होते हुए भी सरकार को रक्षित बैंक पर निर्भर करना पड़ता है। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते।

श्री वी० बी० गांधी ने अपराधी संचालकों (डायरेक्टरों) पर किसी समवाय के संचालक बनने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने का उल्लेख किया है। यह विधान केवल पांच वर्षों के लिए है। जैसा कि मैं ने कहा है। बैंकिंग समवायों के संचालकों पर विशेष उत्तरदायित्व आता है क्योंकि उन के हाथ में दूसरों का धन होता है जिन्हें उन के चुनाव में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग के परिणाम अवश्य भोगने चाहियें। किसी अपराधी संचालक पर किसी दूसरे समवाय के संचालक बनने सम्बन्धी प्रतिबन्ध केवल पांच वर्ष तक ही लागू रह सकेगा।

श्री के० के० बसु तथा कुछ और सदस्यों ने भारत के रक्षित बैंक तथा खण्ड ३८ ए(३) के परन्तुक के बारे में कुछ कहा है । श्री वसु ने विधि सम्बन्धी व्यय के बारे में भी कुछ कहा है । श्रीमान, हम ने जो पत्र सदन-पटल पर रखे हैं, उन से पता चल जाता है कि परिसमापन कार्यवाही का विधि सम्बन्धी व्यय असामान्य रूप से अधिक है । मैं समझता हूं कि इस दिशा में अनुप्रार्थियों अर्थात् सालिसिटरों को सब से अधिक लाभ पहुंचा है । वह स्वयं एक अनुप्रार्थी हैं । उन का सुझाव है कि वैतनिक अनुप्रार्थी नियुक्त किए जाने चाहियें । यह एक प्रशासनात्मक मामला है तथा मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय या न्यायालय का परिसमापक इस विधेयक के उद्देश्य को अपने सामने रखेगा । इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं । सस्ता और गतिशील परिसमापन । मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय तथा न्यायालय का परिसमापक इस बात की व्यवस्था करेंगे कि विधि सम्बन्धी व्यय इतना अधिक न हो जितना कि यह इस समय है । हो सकता है कि न्यायालय का परिसमापक वैतनिक अनुप्रार्थियों और वैतनिक वकीलों को नियुक्त करे । मैं समझता हूं कि इस मामले को प्रशासनात्मक उपाय के रूप में उच्च न्यायालय तथा न्यायालय के परिसमापक पर छोड़ दिया जाय ।

इस के बाद उन्हों ने कर्मचारियों का उल्लेख किया है । श्रीमान, मुझे लगभग ८० बैंकों के कर्मचारियों के बारे में, जो इस समय बेकार हैं, कुछ मालूम है । उन में से कुछेक के साथ मेरा वैयक्तिक सम्पर्क भी है । मुझे उन के प्रति बहुत सहानुभूति है । परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार इस विधेयक में यह व्यवस्था कैसे कर सकती है कि न्यायालय का परिसमापक अपने कर्मचारियों को उन कर्मचारियों में से चुनेगा जिन का इस समय परिसमापन हो रहा है । परन्तु मैं आशा करता हूं कि स्वाभावतः न्यायालय के परिसमापक महोदय अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करना पसन्द करेंगे तथा वह उन्हें केवल इन बैंकों के भूतपूर्व कर्मचारियों में से ही ले सकते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : श्रीमान, माननीय उपमंत्री ने ४५डी के बारे में उत्तर नहीं दिया है जिस में मैं ने यह आपत्ति की थी कि इसे भू-राजस्व के शेष के रूप में वसूल नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा : इस विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि बैंक की आस्तियों की वसूली की प्रक्रिया को गतिशील तथा कम जटिल बनाया जाय । हमारे सामने और कोई उपाय नहीं है । उन्हों ने कहा है कि ऋण को भू-राजस्व के शेष के रूप में वसूली से भी कोई व्यक्ति जेल में डाला जा सकता है ।

मेरा विचार है कि बम्बई के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य में कारावास का दण्ड नहीं दिया जाता । इस मामले का निर्देश पुनर्वास वित्त प्रशासन विधेयक के सम्बन्ध में भी हुआ था । मैं आशा करता हूं कि ऐसी कठिनाइयां बहुत कम बार उपस्थित होंगी ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं डा० एम० एम० दास की एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं । उन्हों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में हर्ष और दुख दोनों के भाव व्यक्त किये हैं । मेरे विचार से इस के लिए उन्हें उस अभिकरण को दोष देना होगा जिस ने इसे उत्पन्न किया है । पूरी खुशी किसी व्यक्ति के भाग्य में नहीं है । यदि उन्हें या दूसरे सदस्यों को इस से कुछ संतोष हुआ है तो स्वयं हमें उचित ही संतोष है ।

श्रीमान, आप को विदित ही है कि स्वयं मैं गत चार या पांच वर्षों से इन बातों

[श्री ए० सी० गुहा]

को उठाता रहा हूं। वास्तव में यदि सरकार इस धन के कुछ भाग को निक्षेपकों (रुपया जमा करवाने वालों) को वापस दे सके तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मैं ने भविष्य निधि के बारे में एक प्रश्न उठाया था क्योंकि विभिन्न न्यायालयों में इस सम्बन्ध में मतभेद है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने उस ओर ध्यान दिया है, परन्तु इस समय उस सम्बन्ध में आश्वासन देना सम्भव नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या बैंक कर्मचारियों के प्रतिभूति धन के सम्बन्ध में भी ?

श्री ए० सी० गुहा : हां, श्रीमान ।

विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का सशोधन सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ के अग्रेतर संशोधन के हेतु विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ करेंगे ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३—(नई धारा की निविष्टि)

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान, संशोधन में 'न्यायालय' शब्द के स्थान पर 'उच्च न्यायालय' शब्दों के रखने की प्रस्तावना की गई है तथा 'उच्च न्यायालय' की परिभाषा इस प्रकार से है कि भारत में निगमित बैंकिंग समवाय के विषय में वह उच्च न्यायालय जिस के क्षेत्राधिकार में सम्बन्धित समवाय का प्रधान कार्यालय है तथा भारत से बाहिर निगमित समवाय के विषय में वह उच्च न्यायालय जिस के क्षेत्राधिकार में सम्बन्धित समवाय का भारत में कारबार का मुख्य स्थान हो । श्रीमान, अब देखना है कि निक्षेपकों के हित में परिसमापन कार्यवाही को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ले आने का प्रभाव क्या है ? सरकार का विचार है कि ऋण को वसूल करने के लिए परिसमापक को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विभिन्न स्थानों पर भटकना पड़ता है जबकि इस संशोधन के अनुसार विशेष श्रेणी के देनदारों को उच्च न्यायालय में ही आना पड़ेगा । इस प्रकार से यह उपबन्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अपरोक्ष रूप से संशोधन करता है ।

श्रीमान, ऋण प्रायः छोटे छोटे व्यापारियों को सम्पत्ति की प्रतिभूति के आधार पर दिए जाते हैं । किसी बैंक के विषय में यह देनदार विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं । अब जहां तक परिसमापक का सम्बन्ध है, व्यय की कमी अवश्य होती है, परन्तु दुर्भाग्य देनदारों को तो स्थान स्थान से एक उच्च न्यायालय में आना होगा जिसे ऐसी कार्यवाही का पूर्ण अधिकार दिया गया है ।

४५ डी में दावों के दायर करने की आवश्यकता दूर कर दी गई है तथा अब सम्बन्धित उच्च न्यायालय को लेनदारों की सूची को ही तैयार करना होगा । अब, इस से विभिन्न राज्यों के न्यायालय शुल्क अधिनियमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? श्रीमान, एक प्रकार से हम राज्य विधान मण्डलों के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विषय में विधान बना रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : किसी निजी पक्ष द्वारा दीवाले को याचिका देने के विषय में

क्या होता है ? दीवाला न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहिर के कई व्यक्तियों को भी दीवाला सूची में शामिल करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना दावा उस न्यायालय में दाखिल करना होता है जहां उस सम्बन्ध में कार्यवाही हो ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान, मेरा निर्देश दावों से नहीं है । निक्षेपकों के हितों को सुरक्षित करने के मामले में मैं सरकार से सहमत हूं । मेरा सम्बन्ध तो देनदारों से है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि एक 'मृत' बैंक एक 'जीवित' बैंक की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। बैंक के परिसमापन का अर्थ है सभी देनदारों का अनिवार्य परिसमापन ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान, मैं इसे स्पष्ट करूंगा । कल्पना कीजिये, बैंक से ऋण लेन से किसी व्यक्ति का नाम उच्च न्यायालय की सूची में आ जाता है । पूना में काम धन्धा करने वाले किसी व्यक्ति का नाम कलकत्ते के उच्च न्यायालय की सूची में आ जाता है तो उसे अपना कामधाम छोड़ कर कलकत्ता जाना पड़ता है तथा समय एवं पैसा बर्बाद करना पड़ता है ।

इस विधेयक में यह उपबन्ध नहीं है कि उच्च-न्यायालय जिसे अनन्य क्षेत्राधिकार दिया गया है, यह शक्ति विभिन्न ज़िला न्यायालयों को प्रत्यायोजित कर सकता है। अधीक्षण तो समापक न्यायालय का होगा किन्तु उन ज़िला न्यायाधीशों या ज़िला न्यायालयों को, जिन के क्षेत्राधिकार में वह ऋणी रहता हो या अपना काम करता हो, मामले का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए । ऐसा करने से उच्च न्यायालय अपने स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकेगा और ऋणी को भी लाभ होगा । इस सम्बन्ध म हम एक खंड यह भी रख सकते हैं कि कुछ मामलों म उच्च न्यायालय किसी ऐसे मुकदमे को जिस का अधिनिर्णय किसी निम्न न्यायालय में किया जा रहा है, वहीं जारी रखने की अनुमति दे सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को क्या कहना है ?

श्री ए० सी० गुहा : जहां तक खंड ३ का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यदि हम माननीय सदस्य की बात मान लें, तो एक मुख्य उद्देश्य असफल हो जायेगा । मैं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक मामलों और न्यायालयों की संख्या कम नहीं की जायेगी, समापन कार्य शीघ्रता से और कम खर्च से नहीं हो सकेगा । इस लिए हम चाहते हैं कि सब मामले एक विशिष्ट उच्च न्यायालय को भेजे जायें। कुछ भी हो ऋणी की कठिनाइयां तो बनी रहेंगी चाहे मामला उच्च न्यायालय में भेजा जाये या किन्हीं अन्य न्यायालयों में ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५—(धारा ३७ का संशोधन)

श्री टी० के० चौधरी ने ३ संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री वी० बी० गांधी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री टी० के० चौधरी : नई उपधारा (३) में यह दिया हुआ है कि यदि कोई

[श्री टी० के० चौधरी]

बैंकिंग समवाय बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ३५ के अधीन शोध-विलम्ब काल के लिए प्रार्थना करे तो न्यायालय एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है। यदि बैंकिंग प्रणाली को पुनर्निर्माण वित्त निगम तथा जमा करवाने का बीमा निगम जैसी संस्थाओं से सहारा नहीं दिया गया तो इस विधि के अनुसार धारा ३७ एक बहुत खतरनाक उपबन्ध है। मुझे ऐसे किसी बैंक का पता नहीं जिस ने शोध-विलम्ब काल के लिए आवेदन पत्र दे कर पुनः अपना कार्य आरम्भ किया हो। जब कोई बैंकिंग समवाय एक बार शोध विलम्ब काल के लिए आवेदन करता है, तो न जाने कैसे उस की परिसम्पत् के सम्बन्ध में सब सारभूत साक्ष्य गायब हो जाता है। मैं यह अनुभव करता हूं कि बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ३७ पहल का काम पूर्ण रूप से बैंकिंग समवाय पर ही छोड़ देती है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई समवाय यह प्रार्थना पत्र दे, तो उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करना चाहिए। हमें इस चीज़ को उच्च न्यायालय के स्वविवेक पर ही बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा भी कोई मामला हो सकता है जिस में स्वयं बैंक आकर उच्च न्यायालय से प्रार्थना करे कि वह भुगतान करने में असमर्थ है और इस लिए उसे शोध विलम्ब काल मिलना चाहिए, तो उस मामले में इस बात का निर्णय करना कि वह मामला उचित है या नहीं, उच्च न्यायालय का काम है। इस प्रकार के मामलों में विशेष-पदाधिकारी की स्वयमेव नियुक्ति से बैंक के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

श्री बी० बी० गांधी का संशोधन अनियमित है। इस लिए मैं उस को आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे खेद है कि मैं श्री चौधरी के संशोधन संख्या ७, ८ और ९ स्वीकार नहीं कर सकता। आप ने ठीक ही कहा था कि उच्च न्यायालय को कतिपय विषयों में स्वविवेक के प्रयोग का अधिकार होना चाहिए। हमें यह आशा है कि उच्च न्यायालय उचित ढंग से इस स्वविवेक का प्रयोग करेगा। विशेष पदाधिकारी बहीखातों को संभाल लेगा और इस प्रकार जमा करवाने वालों और हिस्सेदारों दोनों के हितों की रक्षा करेगा।

उन के संशोधन ९ के सम्बन्ध में जब उच्च न्यायालय विशेषाधिकारी को नियुक्त करता है, तो उसे अपने आदेश को रद्द कर के विशेष पदाधिकारी को हटा देने के लिए स्वविवेक के प्रयोग का भी अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ६ (नई धारा ३८क की निविष्टि)

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति ५ में

"appointed by it" ["इस के द्वारा नियुक्त"] के पश्चात् "in consultation with the Central Govt." ['केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर के'] निविष्ट कर दिया जाये।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति १५ में "Court" ['न्यायालय'] के पश्चात् "after giving the Court liquidator and the Reserve Bank an opportunity of being heard and" ['न्यायालय समापक और रिज़र्व बैंक को अपनी बात कहने का अवसर देने के पश्चात् और'] निविष्ट कर दिया जाये ।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति ३३ में

"High Court" ['उच्च न्यायालय'] के पश्चात् "after giving the Court liquidator and the Reserve Bank an opportunity of being heard" ['न्यायालय समापक और रिज़र्व बैंक को अपनी बात कहने का अवसर देने के पश्चात्'] निविष्ट कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री ए० सी० गुहा : ये संशोधन ३८ क (३) के परन्तुक के सम्बन्ध में सभा में व्यक्त की गई आशंकाओं को दूर कर देंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाएगा और अन्य संशोधन जो इस परन्तुक को व्यवहार्यत: हटाने के लिए प्रस्तुत किये गये हैं, वापस लिया जाए ।

श्री के० के० बसु: यह आप की प्रार्थना है ।

श्री ए० सी० गुहा : जी हां, यह मेरी प्रार्थना है और आशा है कि समझदारी से काम लिया जाएगा ।

श्री टी० के० चौधुरी ने संशोधन * प्रस्तुत किये ।

श्री तुलसी दास ने संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री देवश्वर शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १४ से १८ में से "unless the High Court having regard to special circumstances obtaining in the case of the banking company and for reasons to be recorded, otherwise direct in the order for the winding up of the banking company."

["यदि उच्च न्यायालय, किसी बैंकिंग समवाय के सम्बन्ध में विद्यमान विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएं, उक्त बैंकिंग समवाय के परिसमापन सम्बन्धी आदेश में अन्यथा निदेश न दें"] शब्दों को हटाया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री के० के० बसु ने तीन संशोधन† प्रस्तुत किए ।

४ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक का दूसरा वाचन ५ बजे समाप्त होगा जब कि तीसरा वाचन ५ बजे आरम्भ हो कर ५.४१ तक चलेगा ।

श्री तुलसी दास : धारा ३८ क के अनुसार अधिक शीघ्र कार्य और परिसमापन की लागत में कमी के लिये यह अपेक्षित है कि न्यायालय का परिसमापक परिसमापन कार्यवाही के लिए प्रभारी होगा । न्यायालय को और परिसमापक नियुक्त करने की शक्ति क्यों दी जाए ? न्यायालय का परिसमापक ही सरकारी परिसमापक क्यों न हो ? इस से लागत कम होगी ।

---

* जिन्हें अन्त में अस्वीकृत समझा गया ।

† जिनमें से एक अनावश्यक समझा गया ।

डपाध्यक्ष महोदय : अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि बम्बई उच्च न्यायालय की प्रथा के अनुरूप ही एक सहकारी परिसमापक रखा जाए। अब तक प्रत्येक मामले के लिए तदर्थ परिसमापक नियुक्त किया जाता था। उप-खण्ड २ में कहा गया है कि न्यायालय का परिसमापक सरकारी परिसमापक होगा।

श्री तुलसीदास : खण्ड (३) के परन्तुक से यह बात नहीं रह जाती।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य खंड (३) पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने इस की विस्तृत रूप से व्याख्या की थी। उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्री तुलसी दास : श्रीमान यदि ऐसा है तो मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायालय का परिसमापक ही सरकारी परिसमापक बन जायगा और केवल उन लम्बित मामलों में दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकेगा जहां असाधारण परिस्थितियां हों।

श्री के० के० बसु : उप खंड (२) में कहा गया है कि न्यायालय का परिसमापक सरकारी परिसमापक बन जाएगा यदि उच्च न्यायालय अन्यथा आदेश न दे। इस में लम्बित मामलों का वर्णन नहीं है। आगामी मामलों का वर्णन है।

श्री ए० सी० गुहा : उप धारा ३ में लम्बित मामलों की बात ही कही गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु वे तो उप-धारा २ की चर्चा कर रहे हैं।

श्री के० के० बसु : हमारा अनुभव बताता है कि न्यायालय के परिसमापक अथवा सरकारी परिसमापक केवल ऐसे मामलों में नियुक्त किए जाते हैं जहां निधि नहीं होती। मैं अधिनियम में एक परन्तुक जोड़ना चाहता हूं क्योंकि अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय निरीक्षण समिति को समाप्त कर सकती है। इस लिए ऐसे मामलों में जहां न्यायालय के परिसमापक और रक्षित बैंक के अतिरिक्त गैर-सरकारी परिसमापक हो निरीक्षण समिति को अनिवार्य बनाना चाहिये। यद्यपि हम आशा करते हैं कि उच्च न्यायालय न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि रक्षित बैंक और जमा करने वालों को परिसमापन कार्यवाही में पूछ ताछ करने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री सर्मा : उप-मंत्री द्वारा पुरः-स्थापित संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय के परिसमापक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के परामर्श से करेगा। मेरी प्रार्थना है कि इतने साधारण से कार्य के लिए हमें अपने उच्च न्यायालयों पर निष्ठा रखनी चाहिये।

उप-खण्ड (२) में यह उपबन्ध किया गया है कि बैंक समवाय को बन्द करने के लिये उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय का परिसमापक सरकारी परिसमापक बन जाएगा। परन्तु उस के परन्तुक में उच्च न्यायालय को विशेष परिस्थितियों में विकल्प दिया गया है। मेरे संशोधन का उद्देश्य है इस विकल्प का लोप किया जाए और प्रत्येक मामले में अनुविहित रूप से न्यायालय का परिसमापक कार्यवाही को बन्द करने वाला परिसमापक हो। अन्यथा इस उपबन्ध से उलझनें उत्पन्न होने का भय है और विधेयक का वह लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा जिस के उद्देश्य से इसे प्रस्तुत किया गया है।

आप ने ठीक कहा है कि उप-खण्ड (३) का सम्बन्ध लम्बित मामलों से है और इस उप-खण्ड का परन्तुक अन्य उप-खंडों

अर्थात् (१) और (२) से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। यह हानिकारक नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय ध्यान पूर्वक निर्णय करेगा कि किसी लम्बित मामले के लिए न्यायालय का परिसमापक नियुक्त करना जमा करने वालों के हित में होगा अथवा नहीं। उप मंत्री के इस संशोधन से कोई अन्तर नहीं पड़ता। वरन् इस से उच्च न्यायालय के प्रति कुछ अविश्वास का अंश उत्पन्न हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो नितान्त भिन्न सुझाव हैं एक ओर कहा गया है कि न्यायाय को शक्ति न दी जाए। और माननीय सदस्य न्यायालय को पूर्ण स्वविवेक प्रदान करना चाहते हैं।

श्री सर्मा : यदि हमें न्यायालयों पर विश्वास नहीं तो हमें सर्वाधिकारी सरकार बना लेनी चाहिये। वह भिन्न प्रश्न है। न्यायालय लोगों के हितों और अधिकारों के संरक्षक हैं और जब तक लोगों को न्यायालय पर विश्वास न हो जनतन्त्र उन्नति नहीं कर सकता। इस लिए मुझे विश्वास है कि माननीय उप-मंत्री दोबारा विचार करने पर मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री के० के० बसु : मैं ने नई धारा ३८ क की उप-धारा (३) के परन्तुक का एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

माननीय उप मंत्री ने जो संशोधन प्रस्यत किया है उस में यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। सिद्धान्त यह है कि उच्च न्यायालय अथवा निम्न न्यायालय को चाहिये कि वे कारणों का लिखित रिकार्ड रखें। इस से रुपया जमा करने वाला यदि चाहे तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा अन्यथा उसे यह विदित ही न होगा कि निश्चय किस आधार पर किया गया था।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस संशोधन की सूचना हमें अभी माननीय मंत्री से प्राप्त हुई है और क्योंकि आप इसे स्वीकार कर चुके हैं, इसलिये यह सर्वथा ही एक भिन्न बात है। परन्तु धारा ३८ क (१) के संशोधन की ओर हमारा ध्यान तनिक भी आकर्षित नहीं किया।

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किय गये सरकारी परिसमापक से केन्द्रीय सरकार का क्या सम्बन्ध है? प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने सरकारी परिसमापक स्वयं नियुक्त करता है।

श्री एस० एस० मोरे : जब उच्च न्यायालय स्वयं नियुक्ति करती है तब भी उसे केन्द्रीय सरकार के विचारों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः इन शब्दों की यहां कोई आवश्यकता नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान्, हमें उच्च न्यायालयों पर सन्देह नहीं करना चाहिये। अतः मेरा निवेदन यह है कि हमें ये शब्द नहीं रखने चाहियें क्योंकि यह उच्च न्यायालयों के लिये अप्रतिष्ठात्मक होगा। धारा ३८ क (२) में, अन्तिम तीन या चार पंक्तियां हटा देनी चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : अपवाद करने से क्या लाभ है?

श्री ए० सी० गुहा : मैं माननीय मित्र श्री सर्मा के संशोधन को धारा ३८ क (२) से "जब तक कि उच्च न्यायालय .....बैंकिंग कम्पनियों के" शब्दों को हटा दिया जाये, को स्वीकार करने को तैयार हूं। परन्तु मेरा विचार है कि शब्द "केन्द्रीय सरकार के परामर्श से" आवश्यक है और अवश्य रखे जाने चाहियें क्योंकि हम चाहते हैं कि उचित व्यक्ति नियुक्त किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री श्री सर्मा के संशोधन को स्वीकार करते हैं,

[उपाध्यक्ष महोदय]

तो उच्च न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं रहता है।

फिर "केन्द्रीय सरकार के परामर्श से" शब्दों की निविष्टि के लिये माननीय मंत्री का संशोधन कैसे उत्पन्न होता है।

श्री ए० सी० गुहा : यह परिसमापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार केन्द्रीय सरकार का हाथ अवश्य रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार की स्थिति उच्च न्यायालय जैसी नहीं हो सकती है। केन्द्रीय सरकार का हाथ रहे या न रहे, परन्तु परिसमापक की नियुक्ति उच्च न्यायालय को करनी पड़ेगी। इस तथ्य की दृष्टि से कि उच्च न्यायालय को सारे मामलों में इस सरकारी परिसमापक से सलाह लेनी पड़ती है, नियुक्ति का अधिकार बिना किसी प्रतिबन्धन के उच्च न्यायालय को दिया जा सकता है।

श्री ए० सी० गुहा : बात यह है कि सब मामलों में नियुक्तियों के विषय में उच्च न्यायालय को केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेना पड़ता है। मैं पहिले ही बता चुका हूं कि सदन के समक्ष कम्पनी विधेयक में एक उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार को केवल बैंकों के लिये ही नहीं अपितु समस्त कम्पनियों के लिये परिसमापकों की नियुक्ति करनी चाहिये। अतः मेरा विचार है कि किसी प्रकार केन्द्रीय सरकार का हाथ होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का विचार है कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी परिसमापक की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार केन्द्रीय सरकार का है। वह यह न्यायालय को दे रही है। अतः वे इस मामले में अपना कुछ हाथ रखना चाहते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : वर्तमान अधिनियम में नहीं अपितु उस विधेयक में जो हम ने पुरःस्थापित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुझाव देता हूं कि "केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात" शब्दों से "केन्द्रीय सरकार के परामर्श से" शब्दों को आदिष्ट कर दिया जाये।

श्री ए० सी० गुहा : केन्द्रीय सरकार ऐसी स्थिति में नहीं रखी जानी चाहिये कि वह कुछ सिफ़ारिशें करे और उच्च न्यायालय उन्हें स्वीकार करे अथवा अस्वीकार कर दे।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : नियुक्ति-अधिकार उच्च न्यायालय के पास हो या न हो, परन्तु उस का स्वविवेक उस से नहीं छीना जाना चाहिये।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? अब हम अगला खंड ले सकते हैं और इस पर फिर विचार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत ठीक। केवल इस संशोधन को छोड दो। मैं अन्य संशोधनों पर सदन का मत लूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : इस परन्तुक के विषय में मेरा यह विचार है कि इसकी भाषा उचित नहीं है तथा यह विधेयक के उद्देश्य के विरुद्ध है।

श्री के० के० बसु : सुझाव का उत्तर मन्त्री महोदय को देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री से जबरी उत्तर लेने का क्या अर्थ है ? वास्तव में, मुझे इस पर अचम्भा है। (अन्तर्बाधा) इस सबकी कोई सीमा होनी चाहिये।

अब मैं एक के पश्चात् एक मद को, जो स्वीकार हो चुकी है, रखूंगा तथा 'केन्द्रीय

सरकार के परामर्श से' के प्रश्न को भाषा में सुधार करने के लिये छोड दूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १४ से १८ में से–

"Unless the High Court having regard to special circumstances obtaining in the case of the banking company and for reasons to be recorded, otherwise directs in the order for the winding up of the banking company."

['यदि उच्च न्यायालय, किसी बैंकिंग समवाय के सम्बन्ध में विद्यमान विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायें, उक्त बैंकिंग समवाय के परिसमापन सम्बन्धी आदेश में अन्यथा निदेश न दे"] शब्दों को हटाया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुहा द्वारा प्रस्तुत पृष्ठ २ पंक्ति १५ से सम्बद्ध संशोधन अब अनावश्यक हो जाता है ।

पृष्ठ २ पंक्ति ३३ के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत होकर स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ५७ अनावश्यक है ।

संशोधन संख्या ५८ प्रस्तुत होकर अस्वीकृत हुआ ।

श्री ए० सी० गुहा : इस संशोधन के सम्बन्ध में जो इतने समय में अनिश्चित पड़ा है, यदि सदन सहमत हो तो मैं यह मानने को तैयार हूं कि न्यायालय परिसमापक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जैसा कि बैंकिंग समवाय विधि में संशोधन करने वाले विधेयक में उपबन्ध रखा गया है ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : विधि के अनुसार सरकार सरकारी परिसमापकों को स्थायी रूप में नियुक्त कर सकती है । वह एक सरकारी परिसमापक है न कि केवल न्यायालय का पदाधिकारी । इसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : "जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होगा", न कि "इस के द्वारा" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति ५ में—

'it" ['इस']के स्थान पर " the Central Government" ["केन्द्रीय सरकार"] आदिष्ट किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ६ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ , संशोधित रूप में , विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

श्री एस० एस० मोर : अब खण्ड २ के अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का स्थान जो पहिले नियुक्त किया गया था, स्वयं रिक्त हो जायेगा और न्यायालय परिसमापक उसका पद ग्रहण कर लेगा । इस स्थिति में परन्तुक कैसे आयेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उप-खण्ड (२) के अन्तर्गत, भावी मामलों के सम्बन्ध में यह नहीं किया जायेगा । उप-खण्ड (३) के अन्तर्गत अनिश्चित मामलों के सम्बन्ध

[उपाध्यक्ष महोदय]

में, विस्तारक के पास पड़ा हुआ अनिश्चित सारा काम, सरकारी परिसमापक को दे दिया जायेगा ।

श्री एस० एस० मोर : केन्द्रीय सरकार को नियुक्ति-अधिकार दिया गया है । इस परन्तुक के रखने से, आप उच्च न्यायालय तथा सरकार के बीच एक प्रकार के झगड़े को प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

इसके पश्चात अन्य सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, संशोधन विधेयक का खण्ड ८ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि वास्तविक उपबन्ध धारा ४३क में छोटे निक्षेपकर्त्ताओं को अधिमान्य भुगतान के सम्बन्ध में है। बचत बैंक में छोटे निक्षेप-कर्त्ताओं के अधिमान्य दावों में १०० रुपये तक रक्षण दिया गया है। थोड़ा रुपया लगाने वालों तथा जमा करने वालों को यदि हमें कुछ रक्षण देना है तो यह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये । केवल १०० रुपये तक अधिमान्य दावों को मान्यता देने से क्या लाभ ? इसके अतिरिक्त हमारे देश में निक्षेप बीमा की कोई प्रणाली नहीं है । यह अति आवश्यक है कि निक्षेपकर्त्ताओं के अधिमान्य दावों को मान्यता दी जाये । कुछ अन्य देशों में, अवधि-निक्षेप खातों के निक्षेपकर्त्ताओं को विधि द्वारा वही स्थिति प्रदान की गई है जो कि बचत-बैंक-निक्षेप-कर्त्ताओं की है । अतः मेरा विचार है कि बचत बैंक में निक्षेपकर्त्ताओं को ही नहीं अपितु अवधि या निश्चित निक्षप-खातो के निक्षप-कर्त्ताओं को भी कुछ रक्षण दिया जाना चाहिये और उनके अधिमान्य दावों को मान्यता दी जाये । मेरे संशोधन संख्या २० व २१ में यही मांग की गई है ।

[**पंडित ठाकुरदास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अपने संशोधन संख्या २२ द्वारा मैं एक संदेह का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि छोटे निक्षेपकर्त्ताओं को वरीयता-भुगतान हो जाने के पश्चात, क्या बैंक की अवशिष्ट आस्तियों पर उनका कोई दावा होगा ? मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस पर ध्यान दें । मैं उनसे पंडित डी० एन० तिवारी के संशोधन संख्या ३३ पर भी ध्यान देने के लिये निवेदन करता हूं ।

श्री तिवारी की इच्छा है कि सार्वजनिक संस्थाओं के अधिमान्य दावों को भी स्वीकृत किया जाना चाहिये । मैं नहीं समझता कि सार्वजनिक संस्थाओं से उनका क्या अभिप्राय है । यदि वे सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थायें अथवा इसी तरह की दूसरी संस्थायें हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । सहकारी संस्थाएं, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं को स्वीकृति दी जानी चाहिये । माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस पहलू पर भी विचार करें । यदि प्रतीक रूप में नहीं किन्तु यथार्थ सहायता देना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अधि-मान्य दावा डेढ़ सौ रूपये तक सीमित न रह कर २५० रुपये होना चाहिये ।

श्री डी० टी० शर्मा : मेरे संशोधन व्यापक प्रकार के हैं । अन्य बातों के अतिरिक्त इस विधेयक का उद्देश्य लघु निक्षेपकों (छोटी राशियां जमा कराने वालों) की सहायता करना है । मुझे नहीं मालूम कि लघु निक्षेपक का क्या अर्थ लगाया जाता है । यदि आप आय को माप दण्ड मानें तो मैं कहूंगा कि यद्यपि एक मनुष्य आर्थिक दृष्टि से छोटा है फिर भी १००रुपये की सीमा तक उसे सहायता देना सर्वथा महत्वहीन है १००। रुपये की सीमा तक के निक्षेपकों की संख्या भारत में प्रायः नगण्य है । मेरा निवेदन है कि यह सीमा कम

से कम २०० रुपये कर दी जाये । मैं पंडित तिवारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का स्वागत करता हूं कि सार्वजनिक संस्थाओं को संरक्षण देना चाहिये । मैं पंजाब का एक उदाहरण जानता हूं । मैं उस कालेज का नाम नहीं लेना चाहता । वहां के अधिकांश अध्यापकों की भविष्य निधि एक बैंक में जमा थी । दैवात् बैंक दिवालिया हो गया । बेचारे अध्यापकों का रुपया समाप्त हो गया । इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह प्रस्तुत संशोधन स्वीकार कर लें । मैं अपने पंजाब के अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं ।

श्री के० के० बसु : चालू खाते में जिन निक्षेपकों की अधिकतम पूंजी ५०० रुपये है उन्हें लघु निक्षेपकों की श्रेणी में रख लेना चाहिए । दूसरे यह है कि सारभूत लाभ की दृष्टि से यह रकम कम से कम २५० रुपये होनी चाहिये । मुझे यही दो बातें कहना है ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत किये गये पत्र से यह स्पष्ट हो गया होगा कि यदि अधिमान्य लेनदार को २५० रुपया दिया जाय तो अन्य निक्षेपकों के लिये कदाचित ही कुछ बचे ।

श्री के० के० बसु : यदि १०० रुपया देने के बाद कुछ न बचे तब क्या होगा ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मेरा विचार है कि इस खण्ड को भारतीय समवाय अधिनियम के खण्ड २३० के साथ पढ़ना चाहिये । कर्मचारियों की भविष्य निधि का सुझाव भारतीय समवाय अधिनियम के खण्ड २३० में आ जाता है । इसके अतिरिक्त अधिमान्य लेनदारों की छः श्रेणियां हैं और यह सातवीं है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस रकम में आगे वृद्धि करने के लिये नहीं कहेंगे ।

इसके बाद सभापति ने संशोधन उपस्थित किये जो अस्वीकृत कर दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ८ को विधेयक का अंग बना लिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ९ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड १० (नए भाग की आदिष्टि आदि)

श्री ए० सी० गूहा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति २७ में—

"later" ["पश्चात्"] के बाद "or such further time as the High Court may allow" ["अथवा उतना अतिरिक्त समय जिसकी उच्च न्यायालय अनुमति दे"] ये शब्द निविष्ट किए जाएं ।

पृष्ठ ११, पंक्ति १९ में—

"shall, as far as may be" ["जिस सीमा तक सम्भव हो सके, होंगे"] के स्थान पर "in so far as they relate to banking companies being wound up shall also" ["जहां तक इनका सम्बन्ध समापनाधीन बैंकिंग समवायों से है पर भी होगा"] शब्द आदिष्ट किए जायं ।

पृष्ठ १३—

(१) पंक्ति १२ के पश्चात् निवेश कीजिये—

"45 V. *References to directors etc, shall be construed as including references to past directors etc.*—For the removal of doubts it is hereby declared that any reference in this part to a director, manager, liqu

[श्री ए० सी० गुहा]

dator, officer or auditor of a banking company shall be construed as including a reference to any past or present director, manager, liquidator, officer or auditor of the banking company."

[४५ फ. **संचालकों आदि के निर्देशों में पूर्व संचालकों आदि के निर्देश भी सम्मिलित समझे जायेंगे**—सन्देहों को दूर करने के लिये इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस भाग में बैंकिंग समवाय के संचालक, प्रबन्धक, परिसमापक, पदाधिकारी या लेखा-परीक्षक के निर्देश में किसी भूतपूर्व या वर्तमान संचालक, प्रबन्धक, परिसमापक पदाधिकारी या लेखा-परीक्षक के निर्देश को सम्मिलित समझा जायगा "।]

(२) पंक्ति १३ और १६, में "45V" and "45W" "४५ फ" और "४५ ब" के स्थान पर क्रमशः "45W" and "45X" "४५ ब" और "४५ भ" आदिष्ट किए जायं।

पृष्ठ ७

पंक्ति ६ के पश्चात् जोड़िये—

"Provided that no such person shall be publicly examined unless he has been given an opportunity to show cause why he should not be so examined."

["परन्तु शर्त यह है कि इस तरह के किसी व्यक्ति की सार्वजनिक जांच नहीं की जायगी जब तक उसे कारण बताने का अवसर नहीं दिया जाएगा कि उसकी उक्त रूप में जांच क्यों न की जाय।"]

सभापति महोदय : धारा ४५ क और ४५ ख में संशोधन नहीं हैं। अब धारा ४५ ग।

श्री ए० सी० गुहा : मैंने धारा ४५ ग के अधीन संशोधन संख्या २ प्रस्तुत किया है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। यह सर्वथा स्पष्ट है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४, पंक्ति २७,—

"later" ["बाद में"] के स्थान पर "or such further time as the High Court may allow" ["अथवा उतना अतिरिक्त समय जिसकी उच्च न्यायालय अनुमति दे"।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम धारा ४५ घ लेंगे। और संशोधन सं० ३६ प्रस्तुत कर दिया गया है। श्री तुलसीदास।

श्री तुलसीदास : श्रीमान्, धारा ४५ घ, उपखण्ड (६) के अधीन उपबंध के अनुसार प्रस्तुत संशोधन बड़े बड़े समवायों के विषय में असुविधा उत्पन्न कर देगा क्योंकि इन समवायों की सदस्य संख्या वृहद् है। इन मामलों में बहुत से व्यक्तियों को सूची के निर्णय के सम्बन्ध में मालूम न हो सकेगा और बहुत से व्यक्ति सूची निर्णीत करने की प्रक्रिया को न जान सकेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि तीस दिन की अवधि उस व्यक्ति के सूची निश्चयन की सूचना पाने की तिथि से आरम्भ होना चाहिये। यहां पर तीस दिन की अवधि आदेश की तिथि से मानी गई है। बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में लोगों को यह जानने में बड़ी कठिनाई होगी कि उनका नाम सूची में है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री संशोधन स्वीकार कर रहे हैं?

श्री ए० सी० गुहा : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है ।

श्री तुलसीदास : क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

सभापति महोदय : उनके लिये कारण बताना आवश्यक नहीं है ।

सभापति ने प्रस्ताव रखा जो अस्वीकृत कर दिया गया ।

श्री वी० बी० गांधी : श्रीमान्, मेरे संशोधन में पंक्ति सात में "जहां कहीं आवश्यक हो" शब्द लोप करने के लिये कहा गया है । इससे उच्च न्यायालयों के लिये सभी मामलों में सूचनाएं जारी करना आवश्यक हो जायगा ।

मेरे दूसरे सशोधन संख्या ३७ में ऐसा विचार किया गया है कि सभी व्यक्तियों को सूचनाएं जारी की जायेंगी । इन सूचनाओं के न मिलने अथवा न लिए जाने की अवस्था में भी उन्हें जारी मान लिया जायगा । श्रीमान्, हमें इस दिशा में अत्यन्त सावधानी से काम लेने की आवश्यकता है कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचनायें दी जा सकें ।

संशोधन संख्या ३८ में मैं ने "तीस" शब्द के स्थान पर "पैंतालीस" शब्द आदिष्ट करने का सुझाव रखा है ।

श्री ए० सी० गुहा : संशोधन संख्या ३८ के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यह परन्तुक उसमें है कि यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो ३० दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने पर प्रार्थना पत्र ले ले । उच्च न्यायालय चाहे तो ऐसा कर सकता है और अधिक समय दे सकता है । और यह भी आशा है कि उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में उचित ढंग से कार्यवाही करेगा ।

श्री के० के० बसु : मैं केवल कहना चाहता हूं.....

सभापति महोदय : दलील देने का यह कोई ढंग नहीं । माननीय मंत्री ने दलील दी है । आप इसे स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कर दीजिए । फिर उन्हें उत्तर देने का भी अधिकार होगा । अधिक समय देने के लिए उच्च न्यायालय अपने स्वविवेक से काम ले सकता है ।

श्री के० के० बसु : न्यायालय स्वविवेक का प्रयोग कम ही करते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : उच्च न्यायालय से आशा है कि वह उस ढंग से कार्य करेगा ।

सभापति महोदय ने धारा ४५घ में संशोधन संख्या ३६, ३७ और ३८ सदन के मतदान के लिए रखे जो अस्वीकार कर दिये गये ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री इय्युनी का संशोधन संख्या ६४ रखता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुझे कितना समय मिलेगा ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने भाषण संक्षिप्त ही रखें । हमें यह विधेयक आज समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री आर० के० चौधरी : हम जल्दी क्यों करें ? ठीक है कि कार्यक्रम सलाहकार समिति यह सुझाव दे रही है परन्तु सदस्य तो बोलना चाहते हैं ।

सभापति महोदय ने धारा ४५ घ में संशोधन संख्या ६४ सदन के मतदान के लिए रखा जो अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "of any person" ["किसी व्यक्ति की"] श ों से पहले "or gross negligence

[श्री तुलसीदास]

or mismanagement" ["अत्यन्त लापरवाही या कुप्रबन्ध"] इन शब्दों का निवेश किया जाय ।

इस धारा में यह उपबन्ध किया गया है कि परिसमापक यह रिपोर्ट देगा कि उसकी राय में बैंक को हानि किसी व्यक्ति की किसी कार्यवाही पर भूल चूक से हुई है या नहीं ।

मेरा कहना यह है कि यह शब्दावलि बड़े व्यापक अर्थ की है और क्योंकि यह धारा दण्ड सम्बन्धी धाराओं जैसी है, इसलिए यह बिल्कुल नपी तुली भाषा में होनी चाहिए । इसलिए मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार करलें ।

इस के बाद सभापति महोदय ने श्री तुलसीदास का उपरोक्त संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया ।

श्री वी० बी० गांधी ने धारा ४५ घ में अपने दो संशोधन संख्या ४६ और ४८ रखे जो सभापति महोदय ने सदन के सामने प्रस्तुत किए ।

श्री इब्युनो : मैं अपना संशोधन संख्या ६९ रखना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री तूलसीदास : मेरे और संशोधन भी हैं ।

श्री वी० बी० गांधी : मेरा संशोधन. . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपने संशोधन पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं । उनके पक्ष में कोई दलील हो तो दे दें ।

श्री वी० बी० गांधी : इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि न्यायालय को यह अधिकार हो कि कोई धोखा हुआ हो या न हुआ हो, वह किसी संचालक या लेखा परीक्षक को अनर्ह कर सके । मेरा कहना यह है कि उन्हें अनर्ह तभी किया जाय जब यह प्रमाणित हो जाय कि धोखा हुआ है । प्रस्तुत उपबन्ध तो कम्पनी कानून समिति की राय के भी विरुद्ध है । मेरे विचार में यह उपबन्ध न्यायानकूल नहीं है ।

संशोधन संख्या ४८ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि न्यायालय द्वारा किसी संचालक के अनर्ह किए जाने का कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि न्यायालय यह विचार प्रकट करे कि कोई संचालक पांच वर्ष के लिए अयोग्य है तो पांच वर्ष बाद वह योग्य कैसे हो सकता है ? दूसरी बात यह है कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग ही क्यों करें जिससे किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो । इसलिय मेरा विचार है योग्यता के सम्बन्ध में राय प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय : धारा ४५ घ में कोई और संशोधन है ?

श्री तुलसीदास : जी नहीं मैं अपने संशोधनों पर बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोयद : आप तीसरी पढ़त में भी समय लेना चाहते हैं ?

श्री तुलसीदास : श्रीमान् मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रश्न पर ध्यान दें; यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं कि यह महत्वपुर्ण है परन्तु साथ ही यह भी जरूरी है कि हम इसे आज ही समाप्त करें । माननीय सदस्य संक्षेप में ही बोल सकते हैं ।

श्री तुलसीदास : मैं संशोधन संख्या ६६ पर बोल रहा हूं । इस खण्ड में यह उपबन्ध है कि उच्च न्यायालय चाहे तो किसी संचालक की पुरानी या वर्तमान कार्यवाहियों की जांच के लिए खुला अधिवेशन कर सकती है । यह स्पष्ट है कि संचालक को इस खुली जांच का

आदेश दिए जाने से पहले अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जायगा ।

संशोधन संख्या ६६ का तात्पर्य यह है कि पृष्ठ ७, पंक्ति ३ में कम्पनी शब्द के बाद यह जोड़ दिया जाय "उसके बंद होने के समय या उससे तीन वर्ष पहले किसी भी समय ।"

परिसमापन कार्यवाही जांच समिति की रिपोर्ट के परा ६१ में भी यही बात कही गई है । इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा संशोधन इस समिति की सिफारिश के अनुकूल है । अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय ।

जहां तक मेरे संशोधन संख्या ४३ का सम्बन्ध है, मैंने पृष्ठ ७, पंक्ति ९ में एक परन्तुक जोड़ने का सुझाव दिया है.....

श्री ए० सी० गुहा : मैंने भी एक ऐसा ही संशोधन रखा है ।

श्री तुलसीदास : तब मैं अपना संशोधन नहीं रखना चाहता ।

मैंने अपने संशोधन संख्या ११ में सुझाव दिया है कि पंक्ति ३१ से ३५ तक हटा दी जायें और संशोधन संख्या २६ में नये उपखण्ड (८) का प्रारूप नए सिरे से बनाया है । इस उप-खण्ड में कहा गया है कि दीवानी या फौजदारी मुकद्दमे में किसी बैंकिंग कम्पनी के संचालक का बयान उसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जाय । इससे अभियुक्त को दिया गया संरक्षण ही समाप्त हो जाता है । संरक्षण यह है कि इस्तगासे को, अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति का सहारा लिए बिना यह प्रमाणित करना पड़ता है कि अभियुक्त वास्तव में दोषी है । यदि किसी साक्षी ने जिरह आदि के दबाव में आकर कोई बात मान ली हो और वही उसके विरुद्ध प्रयुक्त की जाय तो बहुत अनुचित बात होगी.....

सभापति महोदय : इस प्रकार, जो कुछ लिखा है, वही पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा । एक बात कह दी गई तो उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

और कोई संशोधन है ?

श्री ए० सी० गुहा : खण्ड ४५ घ में मेरा एक और संशोधन है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ७ पंक्ति २८ में,

"for suggestions made" ["दिए गए सुझावों"] शब्दों के स्थान में "made or suggested" ["किए गए या सुझाए गए"] शब्दों को आदिष्ट किया जाय ।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया।

श्री पी० के० चौधरी ने पृष्ठ ६ और ७ में अपने तीन संशोधन रखे जो सभापति महोदय ने सदन के सामने प्रस्तुत किये ।

श्री सी० आर० इय्युनी (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ७, पंक्ति ४८ में—

"partner" ["साझीदार"] से पहले "active" ["सक्रिय"] शब्द का निवेश किया जाय ।

वर्तमान खण्ड के अनुसार उच्च न्यायालय किसी संचालक या लेखा परीक्षक को अयोग्य घोषित कर सकता है और यह कह सकता है कि वह पांच वर्ष तक संचालक या लेखा परीक्षक या साझीदार के रूप में काम न करे । मेरा कहना यह है कि सक्रिय शब्द जोड़ दिया जाय जिससे कि ऐसे व्यक्ति को उस कम्पनी से पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद न करना पड़े ।

इसके पश्चात् सभापति ने श्री इय्युनी का संशोधन सदन के सामने रखा ।

[श्री सी० आर० इय्युनी]

सभापति महोदय ने संशोधन संख्या ४१, ४६ ४८, ६६, ११, २६, २३, २४, २५ और ६९ सदन के मतदान के लिए रखे और ये सब अस्वीकार कर दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ७, पंक्ति २८ में—

"for suggestions made" ["दिए गये सुझावों"] शब्दों के स्थान में "made or suggested" ["किए गए या सुझाए गए"] शब्दों को आदिष्ट किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पृष्ठ ७ में, पंक्ति ९ सम्बन्धी संशोधन सभापति महोदय द्वारा प्रस्तुत होकर स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड ४५ ज पर विचार करेंगे। इस में कोई संशोधन है ?

श्री तूलसीदास : जी हां। मेरा संशोधन संख्या १२ है।

इस खण्ड के अनसार, भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा २३५ के अधीन किसी संचालक या अधिकारी के विरुद्ध प्रत्यक्षत: मामला होने की दशा में, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का भार उसी पर है।

सभापति महोदय : यह संशोधन तो इस खण्ड को हटा देने के लिए है। मैं इसे प्रस्तावित करने की अनुमति नहीं देता परन्तु वे बोल अवश्य सकते हैं।

श्री तूलसीदास : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक, जिसे इस सम्बन्ध में पूरे अधिकार प्राप्त हैं, सकारात्मक ढंग से उनका प्रयोग क्यों नहीं करता। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां संचालकों तथा लेखा परीक्षकों पर कई लाख के दावे थे जो हज़ारों में तै किए गए। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बैंक समापन कार्यवाही समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है।

जबकि प्रत्यक्षत: आरोप सिद्ध हो जाय तो खंड ४५ ज के अधीन प्रबन्ध संचालक, अथवा किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को कुछ रुपया जमा करना पड़ता है। इस खंड के अधीन समस्त संचालकों पर दावे किये जा सकते हैं। अतएव मेरा सुझाव यह है कि इस खंड को एक दम निकाल दिया जाय। मैं यह जानता हूं कि यह उपबन्ध बैंकिंग कम्पनियों के परिसमापन कार्य में शीघ्रता लाने के लिये है किन्तु इस खंड से संचालकों के लिये बड़ी दुर्वह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। यदि आप सारे उत्तरदायत्वों को संचालको पर थोपेंगें तो मुझे डर है संचालक मंडल के लिये आपको अच्छे संचालक नहीं मिल सकेंगे। किसी बैंकिंग संस्था अथवा ऋण देने वाली संस्था की साख उसके संचालक मंडल के कारण बनती है।

मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि रक्षित बैंक ने अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया। एक लाख से अधिक दी जाने वाली पेशगी को यह बैंक रोक सकता था, और उन बैंकों को आदेश दे सकता था कि किसी विशेष पक्ष को पेशगी न दो। किन्तु रक्षित बैंक के निर्देश के होते हुए भी यदि संचालक निर्देश का उल्लंघन करे तो यह बात समझ में आ सकती है, किन्तु यहां तो बैंकों के कार्य को नियमित करने के लिये रक्षित बैंक अपने अधिकारों का निश्चित रूप से कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, और फिर भी उत्तरदायित्व संचालकों पर थोपा गया है। अतएव जैसा कि खंड में बताया गया है कोई भी संचालक इस प्रकार के उत्तरदायित्व को नहीं लेना चाहेगा। मुझे डर है कि देश की बैंकिंग संस्थाओं पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव मैं समझता हूं कि यह खंड निकाल देना चाहिये।

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जिन दो मामलों का उदाहरण दिया है वह उपबन्धों को और भी दृढ़ बनाने के लिये केवल अपनी बात को शक्तिमय बनाने के लिये कहा है। इन दो मामलों में दावों का निपटारा न्यूनतम दरों पर हुआ था और वह भी न केवल इस कारण से कि दावे बढ़ा चढ़ा कर किये गये थे अपितु वैधानिक उपबन्ध अपर्याप्त थे। वैधानिक उपबन्धों के अधीन यह संभव नहीं था कि दावों को और भी दबाया जाता और यही कारण था कि इन दो मामलों में दावों का निपटारा न्यूनतम दरों पर हुआ था। बिधान में अधिक दृढ़ उपबन्ध बनाने के लिये यह केवल मेरी बात को शक्तिशाली बनाता है।

सभापति महोदय : अब मैं नई धारा ४५ लूंगा।

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ ८ पंक्ति ३२ में—

"Require in" ["में चाहे"] के स्थान पर "Reasonably require in connection with" ["के सम्बन्ध में उचित रूप से चाहे"] आदिष्ट किया जाय।

पृष्ठ ८ पंक्ति ३४ तथा ३५ में निम्न निकाल दिया जाय :

"and if the director or other officer fails to do, he shall be guilty of contempt of Court." ["और यदि संचालक अथवा अन्य पदाधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह न्यायालय के अपमान का दोषी होगा"]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

श्री ए० सी० गुहा : हम अनुभव करते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में कुछ भ्रांतियां हैं और अच्छे संचालकों को हम बैंकिंग संगठनों से डराकर भगाना नहीं चाहते। अतएव इसी कारण हमने उपबन्ध को कुछ सरल कर दिया है किन्तु मैं समझता हूं कि हमारे कार्य के लिये यह उतना ही प्रभावशाली होगा जितना कि पहले था।

श्री के० के० बसु : उपमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रथम संशोधन कुछ अंशों तक न्यायालय को परिसमापन में आई हुई बैंकिंग कम्पनी के संचालकों तथा संस्थापकों की सहायता मांगने से रोकता है। यदि संचालक अथवा संस्थापक न्यायालय को सहयोग देने में असफल रहते हैं तो ऐसे मामलों में उनको दंड देने का क्या उपबन्ध है। मैं मानता हूं कि कुछ सच्चे मामले भी हो सकते हैं जहां कि संचालक अथवा अन्य पदाधिकारी सरकारी परिसमापक अधिकारी की सहायता करने के लिये आने में असमर्थ हो सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : ऐसे मामलों में संचालक तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जायगा जैसा कि अन्य दूसरे मामलों में किया जाता है। ऐसे संचालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का समवायी अधिकार उच्च न्यायालय को होगा।

श्री के० के० बसु : यह किस प्रकार हो सकता है ?

श्री ए० सी० गुहा : उस का सम्बन्ध उच्च न्यायालय से होगा। वह न्यायालय का एक सदस्य होगा।

सभापति महोदय : मैं इसे सदन का मत जानने के लिय प्रस्तुत करूंगा :

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ८ पंक्ति ३२ में—

"Require in" ["में चाहे"] के स्थान पर "Reasonably

[सभापति महोदय]

require in connection with" [" के सम्बन्ध में उचित रूप से चाहे"] आदिष्ट किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ८ पंक्ति ३४ तथा ३५ में से निम्न निकाल दिया जाये :

"and if the director or other officer fails to do so, he shall be guilty of contempt of Court" ["और यदि संचालक अथवा अन्य पदाधिकारी ऐसा नहीं करता है तो वह न्यायालय के अपमान का दोषी होगा"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं ४५ ञ लेता हूं :

श्री तुलसीदास : मेरा संशोधन संख्या ७२ है ।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ ८ पंक्ति ४२ के अन्त में—

"or by its auditors" ["अथवा इस के लेखापरीक्षकों द्वारा"] जोड़ दिया जाय ।

४५ञ उच्च न्यायालय को बैंकिंग कम्पनियों द्वारा अपराध करने पर दंड देने के लिये विशेष अधिकार देता है । किन्तु लेखा परीक्षकों पर यह खंड लागू नहीं है । मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों है । मेरा निवेदन यह है कि मुख्य अधिनियम की धारा ४६ इतनी विस्तृत है कि लेखा परीक्षकों द्वारा किये अपराधों के लिये भी वह लागू होती है ।

लेखापरीक्षक को अधिनियम की धारा ३० के अधीन एक प्रतिवेदन देना होता है, वह प्रतिवेदन लेखा तथा पक्का चिट्ठा सहित अभिलेख का अंग है और वह रक्षित बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है । अतएव लेखा-परीक्षक एक वह व्यक्ति है जो कम्पनी के लिये भी कुछ करता है और यदि वह जान कर कोई झूठा विवरण देता है तो अधिनियम की धारा ४६ उस पर लागू होती है । अतएव धारा ४५ञ के उपबन्ध भी उस पर लागू हो सकते हैं ।

श्री तुलसीदास : धारा ४५ ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित नहीं है यह तो एक दम नवीन है । इस प्रकार की सरसरी सुनवाई जारी करने का कारण समझ में नहीं आता । यदि सरसरी सुनवाई होती है तो उस न्यायाधीश द्वारा की जाये जिस ने कम्पनी की समाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही में भाग न लिया हो । मेरा यही संशोधन है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"may" ["सकता है"] के पश्चात् " also " ["भी"] निविष्ट किया जाय ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री आर० क० चौधरी : मैं इस खंड का पूर्णतया विरोध करता हूं । मेरा निवेदन है कि यदि इस खंड को एक दम निकाल भी दिया जाय तो जिस उद्देश्य से यह विधेयक सदन में रखा गया है उस में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी ।

सभापति महोदय : चूंकि संशोधन संख्या ३ खंड ४५ ट के सम्बन्ध में है अतएव इसे इस स्थिति पर प्रस्तुत न समझा जाय ।

श्री आर० के० चौधरी : अब मैं उपधारा ३ लेता हूं ।

यह न्याय के सभी नियमों के विरुद्ध है । यह कहा गया है कि यदि न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट है कि किसी गवाह की साक्ष्य तथ्यहीन

है तो न्यायालय को उसे साक्ष्य के लिये बुलाना आवश्यक नहीं है। सारी बात यह है कि न्यायालय को केवल यह निर्णय करना है कि किसी गवाह द्वारा दी गई साक्ष्य का कोई अंश कायवाही के लिये सुसंगत होगा अथवा नहीं। उच्च न्यायालय यह निर्णय करता है कि क्या इस विशेष मामले की सुनवाई सरसरी तौर पर अथवा नियमित रूप से होनी है; इस के अतिरिक्त उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी गवाह को बुलाने से इन्कार भी कर दे क्योंकि सुनवाई करने वाला वह उच्च न्यायालय यह समझता है कि उस गवाह का वह साक्ष्य बेकार का है। उच्च न्यायालय यह निर्णय करेगा कि कौन से मामले में अपील होगी। यदि आप इस खंड को उस की पृष्ठ भूमि जो कि मैं ने दी है उस दृष्टि से देखें तो मैं कहूंगा कि न्याय के लिये हमें इस खंड को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिये।

श्री टेकचन्द : जहां कहीं अपराध होते हैं, चाहे वह इस विशेष अधिनियम अथवा भारतीय समवाय अधिनियम अथवा बैंकिंग समवाय से सम्बन्धित भारतीय दंड संहिता के अधीन किये गये हों, वहां उच्च न्यायालय को सम्पूर्ण शक्तियां दी जानी चाहियें।

मेरा विचार है कि यह उपबन्ध सर्वथा प्रभावहीन है। उच्च न्यायालय संचालक, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है किन्तु ऋणी के विरुद्ध नहीं जो कि वास्तविक दोषी होता है।

उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कार्यवाही के द्वारा मुकदमों को निबटाने की जो शक्ति दी गई है, उस का प्रयोग करते हुए वह ऐसे ऋणी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार वह व्यक्ति जो वास्तव में बैंक का रुपया हड़पने का उत्तरदायी और भागीदारों तथा बैंक में रुपया जमा करने वालों को भारी परेशानी में डालने का दोषी है, वह अछूता बच जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कार्यवाही के द्वारा मुकदमों को निपटाने की जो शक्ति दी गई है, वह उन व्यक्तियों पर भी लागू की जानी चाहिये जो इस सारी कठिनाई के स्पष्ट रूप से उत्तरदायी हों--चाहे वे बाहरी व्यक्ति हों, अथवा बैंक के कर्मचारी या संचालक या लेखा परीक्ष आदि।

श्री आर० के० चौधरी को जो भय हैं, मेरे विचार से वह कुछ काल्पनिक हैं क्योंकि उच्च न्यायालय मुकदमों को संक्षिप्त कार्यवाही के द्वारा निबटाने के लिये बाध्य नहीं है। यदि वह उचित समझे तो ऐसा कर सकता है। यह उस के स्वविवेक पर निभर है। संक्षिप्त कार्यवाही के द्वारा किसी मुकदमे का निबटारा होना चाहिये अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में संबंधित पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः मेरे विचार से धारा ४५ ञ को फिर से नये रूप में लिखा जाना चाहिये ताकि उस के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति भी आ जायें जो बैंक को भारी हानि पहुंचा सकते हों अथवा जो इन दोनों अधिनियमों के आधीन किये गये अपराधों के अतिरिक्त दूसरे अपराध कर सकते हों। मेरा माननीय उपमन्त्री से यह अनुरोध है कि वह इस विषय में ध्यान दें और उस के वर्तमान क्षेत्र को और व्यापक बनायें।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं समझता हूं कि यहां पर हम पुराने बर्बरता के काल पर वापस लौट रहे हैं। अब हम यह चाहते हैं कि यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाये तो प्रत्येक संचालक को फांसी दे दी जानी चाहिये। बात थोड़ी बहुत ऐसी ही है। हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि यदि आप ऋणी हैं तो न केवल आप ही

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

ऋण अदा करेंगे बल्कि आप के लड़के और लड़कों के लड़के भी उस ऋण को अदा करेंगे। हिन्दू विधि के अनुसार उत्तरदायित्व जारी रहेगा। इस के अतिरिक्त आप बिना सुनवाई का मौका दिये हुए मुकदमा चलाना चाहते हैं। यदि आप खण्ड ४५ को पढ़ें तो पायेंगे कि उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो अभियुक्त की बातों को सुनने से इन्कार कर दें। उस में यह कहा गया है कि "यदि उच्च न्यायालय यह समझता है कि ऐसे गवाहों की गवाही महत्वपूर्ण नहीं होगी तो उसे किसी गवाह को बुलाने की आवश्यकता नहीं है।" यह तो एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है। इस का निणय कैसे हो सकता है कि दी जाने वाली गवाही महत्वपूर्ण होगी अथवा नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप सरसरी सुनवाई को अधिक महत्व दे रहे हैं और इस प्रकार अभागे मनुष्य को उचित रूप से सुनवाई का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो सकेगा। यह एक बहुत बर्बर तरीका है, जो न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। अतः मेरा सुझाव यह है कि माननीय उपमंत्री इस ओर ध्यान दें और यदि हो सके तो सरसरी सुनवाई सम्बन्धी उपबन्ध को विशेष रूप से इस उपखंड को कि यदि उच्च न्यायालय "यह समझता है कि ऐसे गवाहों की गवाही महत्वपूर्ण नहीं होगी, तो उसे किसी गवाह को बुलाने की आवश्यकता नहीं है", इस में से हटा दिया जाये।

श्री ए० सी० गुहा : सदस्यगण इस उपबन्ध के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह रहे हैं। किन्तु मैं उन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नये उपबन्ध में जो कुछ भी है वह पहले ही से भारतीय बैंकिंग समवाय अधिनियम में विद्यमान है।

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं पहले उन्हें बोल लेने दीजिये, फिर माननीय उपमंत्री को अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा।

श्री आर० के० चौधरी : माननीय उपमंत्री ने जो कुछ कहा यदि वह ठीक है तो फिर यहां पर इस उपबंध को रखने की क्या आवश्यकता है? उस को छोड़ दीजिये।

श्री ए० सी० गहा : यदि आप आज्ञा दें, तो मैं उस उपबन्ध को पढ़ दूं।

सभापति महोदय : यदि यह उपबन्ध हो भी, तो भी माननीय सदस्य को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: स्थिति यह है कि मूल अधिनियम में 'न्यायालय', 'उच्च न्यायालय' नहीं था। यहां पर उसे 'उच्च न्यायालय' परिभाषित किया गया है। इस का अर्थ यह हुआ कि इस के निर्णय पर कोई व्यक्ति आगे और कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। यदि सुनवाई किसी और साधारण न्यायालय में हो तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

श्री ए० सी० गुहा : आप गलत समझ रहे हैं। उस में (मूल अधिनियम में) भी 'न्यायालय' का अर्थ 'उच्च न्यायालय' है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यदि आप ने पहले भी ऐसा किया है, तो वह भी गलत था। उसी गलती को फिर से करना तो कोई समझदारी नहीं है।

खण्ड (३) (ख) के अधीन आप कहते हैं कि उच्च न्यायालय तब तक किसी मुकदमे को स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि, उच्च न्यायालय के विचार में, न्याय के हित

में ऐसा करना आवश्यक न हो। केवल न्याय के हितों में ही नहीं बल्कि हो सकता है कि अभियुक्त के हित में भी मुकदमे को स्थगित करना पड़े। सामान्य रूप से न्यायालयों को मुकदमे स्थगित करने के सम्बन्ध में जो शक्तियां प्राप्त हैं, उस पर किसी प्रकार की रोक थाम लगाने की क्या आवश्यकता है ?

बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४६ के आधीन दण्ड तीन वर्ष के कारावास तक का हो सकता है। साधारणतः जिन अपराधों के लिये तीन वर्ष के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, वे निगृहणीय अपराध कहलाते ह और उन के सम्बन्ध में नियमित रूप से सुनवाई होनी चाहिये। अन्य अधिनियमों के आधीन अपराध करने वालों पर नियमित रूप से मुकदमा चलाया जाता है और उनकी सुनवाई होती है। किन्तु यहां पर मनुष्य दिवानी कानून के अन्तर्गत अपराध करता है, फिर भी उसे न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के लाभ से वंचित रखा जाता है। यह उचित नहीं है।

अतः मेरा निवेदन है कि चाहे यह सारी चीज वर्षों से चली आ रही हो, फिर भी इस पर ध्यान देना होगा और इस में उचित सुधार करना होगा।

श्री शर्मा : मैं बहुत थोड़े ही समय में यह कहना चाहता हूं कि यह उपबन्ध अधिक व्यापक नहीं है। बैंकिंग समवाय अधिनियम में उचित उपबन्ध के होने पर भी धोखेबाज लोग होते हैं। इन को पकड़ना बहुत कठिन कार्य है। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि यह उपबन्ध व्यापक और अधिक प्रभावशाली नहीं है। आज कल गबन करने वाले तथा अन्य धोखेबाज लोग बहुत चालाक और धूर्त होते है। इस दृष्टि से यह उपबन्ध अपर्याप्त है।

श्री ए० सी० गुहा : बैंकिंग समवाय अधिनियम का पूरा पैराग्राफ यहां पर ज्यों का त्यों रख दिया गया ह। मैं नहीं समझता कि इस से कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई है मैं आशा करता हूं कि सदन को इस पर आपत्ति नहीं होगी।

इस के उपरान्त सभापति महोदय ने दो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किये। ये संशोधन क्रमशः पृष्ठ ८, पंक्ति ४२ और पृष्ठ ८ पंक्ति ३६ से ४२ के सम्बन्ध में थे। वे अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : मैं खण्ड को इस समय प्रस्तुत करूंगा जब अन्य संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि सदन चाहे तो मैं कार्यवाही को जारी रख सकता हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता था कि आज ही सारे खण्डों पर विचार समाप्त हो जाता।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, यह असंभव है।

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। इस विधेयक के समाप्त होने पर प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जायगा। उस के बाद दूसरा विधेयक उठाया जायेगा।

अब सदन कल डेढ़ बजे तक स्थगित रहेगा।

तब सदन की बैठक बृहस्पतिवार, ३ दिसम्बर, १९५३ को डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।